Par S. 17. I. 13. 52.
285

अंक १ बुधवार,

संख्या १३ ४ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

# संसदीय वाद विवाद

——:o:——

~~भारत संसद्~~

शासकीय वृत्तान्त

[हिन्दी संस्करण]

——:o:——

## भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ६९९—७४५]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ७४५—७९०]

(मूल्य ४ आने)

430 PSL

# लोक सभा

बुधवार, ४ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### क्षय-निरोधक औषधि

*४२९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में नई क्षय-निरोधक औषधि नाइड्रेजिड का उत्पादन आरम्भ किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन का कार्य कहां तक पहुंच चुका है ;

(ग) भारत में प्रति वर्ष यह औषधि कितनी मात्रा में तैयार की जायेगी ;

(घ) क्या यह भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त होगी; तथा

(ङ) क्या इस की कुछ मात्रा आयात भी की जाती है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) रुजाल़यों में प्रयोग की अवस्था में है।

(ग) तथा (घ)। यदि रुजालयों में इस के इस समय किये जाने वाले प्रयोगों से इस की उपयोगिता अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाये तो देश में इस की सारी आवश्यकता को पूरा करने के लिये इस का पर्याप्त उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

(ङ) जी हां, श्रीमान; केवल परीक्षणों के लिये।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के किसी कारखाने में यह औषधि तैयार की जाती है ?

**श्री करमरकर** : इस विषय में कुछ एक सार्थों ने प्रयत्न किये हैं जो इस के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं। उदाहरण के लिये मैसर्ज साराभाई केमिकल्स है जिस के साथ मैसर्ज फिप्स भी सम्बद्ध हैं। वे इस औषधि के निर्माण के लिये आवश्यक प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह औषधि स्ट्रेप्टोमाइसीन से अधिक लाभ दायक है ?

**श्री करमरकर** : यह तो परीक्षण की अवस्था में है। परीक्षण के पश्चात् ही यह ज्ञात होगा।

### दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय

*४३०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण अफ़्रीका की सरकार ने भारतीय उद्भव के लोगों के साथ

वहां जो व्यवहार किया जा रहा है उस के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रीय सभा के १२ जनवरी, १९५२ के संकल्प को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; तथा

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र सभा ने इस इन्कार पर विचार किया है और कोई निश्चय किया है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा १२ जनवरी, १९५२ को पारित किये गये संकल्प के अनुसार यह विषय राष्ट्र संघ के महासचिव के विचाराधीन है ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या दक्षिण अफ़्रीका संघ ने इस संकल्प के अधीन नहीं, किन्तु अन्यथा एक गोलमेज सम्मेलन में बैठ कर इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया था ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : क्या माननीय सदस्य एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दे रहे हैं ?

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या दक्षिण अफ़्रीका संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में नहीं, किन्तु अन्यथा किसी गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया था ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कभी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प की उपेक्षा कर के इन विषयों पर चर्चा करने के सम्बन्ध में अस्पष्ट सुझाव दिये गये हैं और हमने ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया जिससे संयुक्त राष्ट्रीय प्रस्ताव की उपेक्षा या अवहेलना होती हो ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या संघ ने यह पांचवीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का अनादर किया है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ठीक ठीक संख्या तो ज्ञात नहीं, किन्तु निश्चय ही कई बार उन्होंने ऐसा किया है ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र (चार्टर) में अथवा किसी बाद के दस्तावेज में ऐसा कोई उपबन्ध है जिस में यह दिया हुआ हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विनिश्चयों का अनादर करने वाली शक्ति को साधारणतया क्या फल भुगतने पड़ेंगे ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, घोषणा पत्र में उपबन्ध तो हैं, किन्तु वे तो एक प्रकार से कुछ अनुज्ञापक से उपबन्ध हैं । कोई कार्यवाही करना या न करना संयुक्त राष्ट्र संघ पर निर्भर है ।

**श्री गुरुपादस्वामी** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में दक्षिण अफ़्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगायेगी ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सत्य तो यह है कि कुछ वर्षों से हमारे दक्षिण अफ़्रीका के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध है ही नहीं । कुछ वर्ष पहिले दोनों पक्षों ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये थे ।

### विदेशी व्यापार

*४३१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, फरवरी तथा मार्च १९५१ और सन् १९५२ में हमारा समुद्र तथा वायु मार्ग से कितना व्यापार हुआ;

(ख) कितने आयातों का अन्य देशों को पुनः निर्यात किया गया ; तथा

(ग) किन पदार्थों के, निर्यात में कमी हुई है, और इस के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ग) जनवरी–मार्च १९५१ की तुलना में निम्न मुख्य मुख्य पदार्थों के निर्यात में कमी हुई; चाय, सूती कपड़े, कच्ची खालें तथा रंगा हुआ चमड़ा, अभ्रक, कच्ची ऊन, लाख, नरियल की जटा की वस्तुयें, रद्दी रूई, काली मिर्च तथा मूंगफली का तेल। किन्तु जनवरी – मार्च १९५१ में निर्यात का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा था। सन् १९५२ में उसी अवधि में निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मंदी, भारतीय पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक कमी और सामान्य क्रय की वस्तुओं के लिये भी ग्राहकों की अरुचि के कारण गिर गये थे।

**सरदार हुक्म सिंह:** इन तीन मासों में व्यापार सन्तुलन क्या था ?

**श्री करमरकर:** श्रीमान्, मुझे उस की गणना करनी पड़ेगी।

**सरदार हुक्म सिंह:** इस अवधि में हमारे आयात मुख्यतया कहां से होते थे और हमारे निर्यात की मुख्य मुख्य मंडियां कौन सी थीं ?

**श्री करमरकर:** जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं साधारणतया हमारा निर्यात अधिकांशतया ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरीका को होता है। वास्तव में इन तीन मासों में व्यापार का रूप नहीं बदला है।

**श्री हूंसिया:** श्रीमान्, जी, मैं जान सकता हूं कि किन मुख्य मुख्य वस्तुओं का, कितने लाभ पर तथा किन देशों को पुर्निर्यात किया जाता है ?

**श्री करमरकर:** मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

**सरकारी मकानादि को क्षति**

***४३२. सरदार हुक्म सिंह:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में सरकारी मकानादि के अनधिकृत रूप से प्रयोग तथा उन पर अधिकार से सन् १९५१-५२ में हुई कितनी क्षति का अनुमान लगाया गया है;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित राशि में से सन् १९५२ के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त की गई; तथा

(ग) यदि इन मकानों पर अनधिकृत रूप से अधिकार न किया गया होता तो साधारणतया इन का कितना किराया लिया जाता ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन):** (क) १,५७,४३१ रुपये १४ आने ३ पाई।

(ख) कुछ नहीं। तथापि सरकार को अनधिकृत रूप से अधिकार करने वालों से १९५१-५२ में कुल १,५४,८३२ रुपये ४ आने प्राप्त हुए थे। इस में १ अप्रैल, १९५१ से पूर्व की क्षति का भुगतान भी सम्मिलित है।

(ग) अपेक्षित जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इस के आंकड़े पता करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा।

**विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान**

***४३३. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का बम्बई निगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिये घर बनाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार निर्माण कार्य के लिय बम्बई निगम को ऋण देने के लिये राजी हो गई है; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार कितना धन ऋण के रूप में देने के लिये तैयार हो गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) से (ग)। भारत सरकार ने बम्बई निगम को उस की कोलवाडा स्थित भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों के लिये लगभग ९०० घर बनाने के लिये ४५ लाख रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अब निगम के विचाराधीन है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि शरणार्थियों को गृह-निर्माण के लिये ऋण देने के स्थान पर व्यक्तिगत निर्माण समवायों के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाये ?

**श्री ए० पी० जैन:** यदि कोई उपयुक्त समवाय हो तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

**श्री वैलायुधन:** श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या स्वयं शरणार्थी ही संयुक्त स्कन्ध समवाय के आधार पर इन घरों को बनाने के लिये आगे आये हैं ?

**श्री ए० पी० जैन:** हम जिस प्रकार के ढांचे का निर्माण करने जा रहे हैं वह शरणार्थियों की शक्ति से परे है

**ईरानी प्रैस प्रतिनिधि मंडल**

*४३५. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने एक ईरानी प्रैस प्रतिनिधिमण्डल को भारत का दौरा करने के लिये आमंत्रित किया है ?

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मंडल के कब तक पहुंचने की संभावना है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां।

(ख) कोई निश्चित तिथि नियत नहीं की गई है। किन्तु प्रतिनिधिमण्डल के, जिस में संभवतः ईरानी प्रैस के पांच प्रतिनिधि होंगे नवम्बर १९५२ में भारत आने की आशा है।

**तिब्बत में बन्दी बनाये गये भारतीय**

*४३६. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि तिब्बत में आगे बढ़ती हुई चीनी सेनाओं ने कुछ भारतीयों को बन्दी बना लिया था ?

(ख) यदि हां, तो चीनी सेनाओं ने कितने भारतीयों को बन्दी बनाया था ?

(ग) अब तक उन में से कितनों को मुक्त किया जा चुका है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी हां।

(ख) चार को जो तिब्बत सरकार के कर्मचारी थे।

(ग) चारों को मुक्त किया जा चुका है।

**श्री गुरुपादस्वामी:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या चीनी सरकार ने ऐसा करने के लिये क्षमा याचना की है ?

**श्री सतीश चन्द्र:** श्रीमान्, मेरे विचार में कोई क्षमा याचना नहीं की गई।

**समितियां तथा पर्षद्**

*४३७. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण

पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बातें दी हुई हों :

(क) उन के मंत्रालय के अन्तर्गत सन् १९५१ तथा १९५२ में अब तक स्थापित की गई स्थायी, तदर्थ तथा विभागीय समितियों और पर्षदों की संख्या, नाम तथा कृत्य; तथा

(ख) उन स्थायी, तदर्थ तथा विभागीय समितियों की संख्या तथा नाम जो उक्त अवधि में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख)। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उन समितियों या पर्षदों की ओर संकेत कर रहे हैं जो स्थायी रूप से या अन्यथा उन को निर्दिष्ट विशेष प्रश्नों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रयोजन से बनाये गये थे। सन् १९५१ में या १९५२ में अब तक ऐसी कोई समिति बनाई नहीं गई है। परन्तु पदाधिकारियों की एक टोली को हाल ही में चाय उद्योग की अवस्था की जांच करने का काम सौंपा गया था।

तथापि, मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस में सन् १९५१ या १९५२ में कुछ भिन्न कामों के लिये जो समितियां तथा पर्षद् बनाये गये थे उन के नाम दिये हुए हैं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११**]

**श्री एस० एन० दास:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय कुटीरोद्योग निर्यात समिति ने, जिस के सन् १९५१ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

**श्री करमरकर:** : कुटीर उद्योग पर्षद् अभी विद्यमान है किन्तु इस का गठन किसी विशेष विषय पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नहीं किया गया था। छः मास में एक बार इस की बैठक होती है और यह विचार करता है।

**श्री एस० एन० दास:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय कुटीर उद्योग निर्यात समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? मैं कुटीर उद्योग पर्षद् का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

**श्री करमरकर** : मेरे विचार में कुटीर उद्योग पर्षद् के अधीन एक उपसमिति है, जिस के चार सदस्य हैं, जिस का कार्य कुटीर उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं उस के द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न नहीं था। इस की बैठकें होती हैं और यह निर्णय कर लेती है।

**श्री एस० एन० दास:** सन् १९५१ में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में और सदन पटल पर जो विवरण रखा गया था उस में भी यह बताया गया था कि यह समिति सन् १९५१ में जल्दी ही अपना काम समाप्त कर लेगी। यह समिति १० जून, १९५० को नियुक्त की गई थी और १० जन, १९५१ तक उस के अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा थी ?

**श्री करमरकर:** मैं इस सूचना का पता लगाऊंगा; माननीय सदस्य ने कुछ गड़बड़ सी कर दी है।

**श्री एस० एन० दास** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या उद्योग विकास समिति, जो १ फरवरी, १९५१ को विशेष रूप से श्रम के लिये नियुक्त की गई थी, अब भी विद्यमान है या समाप्त कर दी गई है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** श्रीमान्, क्या मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर सकता हूं।

यदि माननीय सदस्य ने उन समितियों के सम्बन्ध में, जिन के बारे में वे जानकारी चाहते हैं, विशेष रूप से प्रश्न किया होता तो उन्हें यह जानकारी मिल सकती थी। क्योंकि यह प्रश्न एक सर्वसामान्य सा है, इसलिये हम वस्तुतः यह नहीं जान सके कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। इसी कारण इस का उत्तर कुछ अस्पष्ट सा है। हम ने केवल वही जानकारी दी है जो कि हमें उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्य उस समिति के सम्बन्ध में, जिस के बारे में वे कुछ जानना चाहते हैं, विशेष रूप से प्रश्न पूछें तो हम निश्चय ही अपेक्षित जानकारी देने की चेष्टा करेंगे।

**बन्दरों का निर्यात**

*४४५. **डा० पी० एस० देशमुख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों को समुद्र के मार्ग से बन्दरों के निर्यात में पूर्ववत् प्रगति जारी है ?

(ख) यदि हां, तो सन् १९५०-१ तथा १९५१-५२ के आंकड़े क्या हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में क्रमशः २३,२५७ तथा ४७,१८५ बन्दरों का निर्यात किया गया था। श्रीमान् जी, क्या मैं इतना और कह दूं कि मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य इस विषय में निरन्तर रुचि ले रहे हैं।

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्या कोई अन्य देश भी इस व्यवसाय में हमारा प्रतिद्वन्द्वी है ?

**पोर्ट सईद पर रुका हुआ माल**

*४४६. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि ग्रीस, तुर्की तथा अन्य देशों से जहाज़ द्वारा लाया जाता हुआ भारतीय व्यापारियों का माल प्रायः पोर्ट सईद पर रोक लिया जाता है; तथा

(ख) यदि सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हमें जहां तक ज्ञात है केवल एक बार पोर्ट सईद पर माल रोका गया है। यह अक्तूबर १९५१ में मिस्र तथा ब्रिटेन के सम्बन्धों में खिचाव होने के कारण वहां श्रमिकों की हड़ताल के फलस्वरूप हुआ था। ये वस्तुएं पूर्व तथा पश्चिम की ओर जहाज़ों में ले जायी जाने के लिये पोर्ट सईद पर उतारी गई थीं। भारत आने वाली वस्तुओं के साथ कोई भेद भाव नहीं किया गया। सीधी आने वाली वस्तुओं को तो मार्ग में बिल्कुल ही नहीं रोका गया।

(ख) सरकार को पोर्ट सईद में वस्तुओं के जहाज़ से ले जाने के सम्बन्ध में विलम्ब का ज्यों ही पता लगा तो उस ने भारत आने वाली वस्तुओं के लिये कुछ विशेष व्यवस्था करने के निमित्त मिश्र सरकार से बात चीत आरम्भ कर दी। बहुत शीघ्र ही हड़ताल समाप्त हो गई और वस्तुएं यथापूर्व जहाज़ों से लाई और ले जायी जाने लगी।

**भारत में विदेशी बस्तियां**

*४४७. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार विदेशी बस्तियों के भारत में विलय के सम्बन्ध में इस समय कोई कार्यवाही कर रही है ; तथा

(ख) इन बस्तियों के भारत को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बद्ध विदेशी सरकारों का क्या रुख है ?

**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) में माननीय सदस्य का ध्यान गत संसद् में पहिली अक्तूबर १९५१ को पूछे गयं प्रश्न संख्या १४३४ के मेरे उत्तर की ओर दिलाता हूं। उस के बाद से फ़्रांसीसी सरकार द्वारा दक्षिण भारत की फ़्रांसीसी बस्तियों को भेजा हुआ कुछ निष्पक्ष प्रेक्षकों का एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा चुका है। इस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन बस्तियों में राजनैतिक जीवन अधिकांशतया सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाये गये गुंडागर्दी के तरीकों से नियंत्रित है जिस के कारण वहां किसी प्रकार का जनमत लेना असम्भव है। इस बात को देखते हुए भारत सरकार की शान्तिप्रियता की नीति के अनुसार अन्य उपायों का प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है। यह तो स्पष्ट है कि विदेशी बस्तियों को, चाहे वे कहीं भी हों, अनिवार्यतया भारत संघ में मिलना पड़ेगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिये सरकार सभी शान्तिपूर्ण पग उठायेगी।

(ख) विदेशी सरकारों का रुख ज्ञात नहीं है।

श्री **पी० टी० चाको** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस समय चन्द्रनगर की ठीक ठीक स्थिति क्या है ?

श्री **जवाहरलाल नेहरू** : मैं तिथियों के सम्बन्ध में अनुमान से बता रहा हूं। वस्तुतः तो चन्द्रनगर भारत सरकार के नियंत्रण में है; किन्तु विधि के अनुसार फ़्रांसीसी विधान सभा को कुछ संकल्प पारित करने हैं और इस के विधिवत् हमारे नियंत्रण में आने में कुछ समय लगेगा। तथापि, आशा है कि यह शीघ्र ही हो जायेगा।

श्री **पी० टी० चाको** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि डा० परांजपे ने पूना की एक सभा में गोआ सरकार के प्रति प्रभावशाली नीति अपनाने के सम्बन्ध में जो कतिपय सुझाव दिये थे क्या उन की ओर भारत सरकार का ध्यान गया है ?

श्री **जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, मुझे ऐसी कोई बात स्मरण नहीं आती।

श्री **केलप्पन** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि "शान्तिपूर्ण उपायों" का ठीक ठीक तात्पर्य क्या है ?

श्री **जवाहरलाल नेहरू** : युद्ध से बचना।

श्री **केलप्पन** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या जनमतसंग्रह भी इन में से एक उपाय है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निस्सन्देह, जनमतसंग्रह भी उन में से एक है; किन्तु मैंने अभी जो उत्तर सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया है उस में मैं ने यह कहा था कि जनमतसंग्रह इस कारण असम्भव प्रतीत होता है क्योंकि वहां परिस्थितियां जनमतसंग्रह के लिये अनुकूल नहीं हैं।

**श्री तुषार चटर्जी** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि चन्द्रनगर का विधिवत् हस्तान्तरण हो चुका है या नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि फ़्रांसीसी विधान सभा इस विषय में एक संकल्प पारित करेगी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमान्, हो सकता है कि गत कुछ दिनों में इस के विधिवत् हस्तान्तरण के लिये कुछ पग उठाये गये हों।

**श्री नम्बियार** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या फ़्रांसीसी बस्तियों के राजनीतिक

निर्वासितों को जो कि मद्रास आते हैं मद्रास सरकार चुन चुन कर निकालती है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मुझे इसका पता नहीं है ।

**भारत में अमरीकी प्रविधिविज्ञ**

*४४८. **डा० पी० एस० देशमुख:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** भारत में काम करने वाले अमरीकी प्रविधिविज्ञों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) वे कहां कार्य कर रहे हैं और उन के वेतन का व्यय कौन वहन करता है ?

(ग) क्या कुछ और प्रविधिविज्ञों को भारत बुलाने का विचार है, और यदि हां, तो कितने और किस कार्य के लिये ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

इन प्रविधिविज्ञों को अमरीका की सरकार वेतन देती है ।

(ग) और विदेशी प्रविधिविज्ञों की आवश्यकता सम्बन्धी एक प्राक्कलन सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]**

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कि भारत में इन प्रविधिविज्ञों के साथ सहायक जैसी कोई चीज़ हो ?

**श्री सतीश चन्द्र:** जी हां, श्रीमान्, यदि सामान्यतया कहा जाय तो ऐसा होता

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्या माननीय सभा सचिव यह बतला सकते हैं कि अब तक उनके साथ इस प्रकार के कितने सहायक हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ नहीं सका । कोई प्रविधिविज्ञ किसी विशेष कार्य या कार्यांश को करने के लिये कुछ निश्चित समय के लिये या यों कहिये कि छः मास या इस से कुछ अधिक समय के लिये आता है । कुछ लोगों के साथ, जिन के साथ कि वह काम करता है, उसका सम्बन्ध होता है । उसे 'सहायक' कहा जाता है या नहीं यह तो मुझे ठीक पता नहीं । प्रायः वह कोई विशिष्ट कार्य नहीं करता, किन्तु एक परामर्शदाता का कार्य करता है; वह अन्य लोगों को परामर्श देता है ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या अमरीकी प्रविधिविज्ञों को चतुर्थ-लक्ष्य सहायता में से वेतन दिया जाता है अथवा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार इसे अलग से देती है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरे विचार से यह 'चतुर्थ-लक्ष्य' कार्यक्रम है किन्तु मुझे ठीक पता नहीं है ।

**श्री सारंगधर दास:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कूटनीतिज्ञों के समान इन्हें भी कूटनीतिक विमुक्तियां प्राप्त हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी नहीं, श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं कि कोई एकाध ऐसे विशेष मामले हैं या नहीं । किन्तु मेरे विचार से उन्हें कटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं।

**श्री के० सुब्रहमण्यम्:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भाकड़ानांगल परियोजना के अमरिकन विशेषज्ञ को भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलता है ?

**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

**श्री वी० पी० नायर :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इस प्रकार के प्रविधिविज्ञ देश में राजनैतिक प्रचार न करें ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि इन में से किसी प्रविधिविज्ञ ने इस प्रकार का कोई प्रचार किया तो सरकार इसे निश्चय ही बहुत बुरा समझेगी।

**डा० पी० एस० देशमुख :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि परियोजना इंजीनियर रूपांकन इंजीनियर आदि के मामलों में, जिन की सेवायें दो या तीन वर्ष की अवधि के लिये प्राप्त की गई हैं, सरकार इस बात का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि इस अवधि के अन्त में उस काम को भारतीय संभाल लें ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य किस परियोजना की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

**डा० पी० एस० देशमुख :** उदाहरण के लिये, विवरण में जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है उन में से किसी में भी।

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे पास बहुत से इंजीनियर, परियोजना इंजीनियर, रूपांकन इंजीनियर तथा इसी प्रकार के अन्य इंजीनियर हैं। वे बड़े अच्छे इंजीनियर हैं। तथापि, कभी कभी जब कोई बड़ी परियोजना आरंभ की जाती है तो इस प्रकार के कार्य के बहुत अधिक अनुभवी व्यक्ति को लाना वांछनीय समझा जाता है। जहां कहीं भी इस प्रकार के कोई व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं, भारतीय इंजीनियर निरन्तर उन के साथ कार्य करते हैं।

**डा० पी० एस० देशमुख :** उन के कब तक काम संभाल लेने की आशा है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वे अभी इसी समय संभाल सकते हैं ; किन्तु यह तो एक बड़ी योग्यता का कार्य है; वस्तुतः वे तो प्रायः समर्थ होते हैं, किन्तु उन्हें बड़ी बड़ी परियोजनाओं का अधिक अनुभव प्राप्त नहीं है जिसे कि वे प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं।

### भारत का इस्पात निगम

*४४९. **श्री एम० ऐल० द्विवेदी :** क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के इस्पात निगम ने क्या कार्य किया है और उस की वित्तीय स्थिति कैसी है ; तथा

(ख) निगम पर अब तक कुल कितना प्रतिष्ठान व्यय तथा अन्य व्यय हुआ है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) मेरे विचार से माननीय सदस्य दी स्टील कार्पोरेशन आफ़ बंगाल लिमिटेड, कलकत्ता की ओर निर्देश कर रहे हैं। इस कार्पोरेशन (निगम) ने सन् १९५१ में २,५४,२०२ टन इस्पात का उत्पादन किया था। इस की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक है।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५० को समाप्त होने वाले वर्ष में वेतन तथा श्रमिकों की मजूरी को मिला कर इस का प्रतिष्ठान व्यय १३५ लाख रुपये हुआ था।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इस निगम को सन् १९४८ के बाद से कितना ऋण दिया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, सरकार स्टील कार्पोरेशन आफ़ बंगाल तथा इस के सहकारी समवाय इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को पांच करोड़ रुपये की राशि—डेढ़ करोड़ इंडियन आयरन एंड स्टील

कम्पनी को तथा साढ़े तीन करोड़ स्टील कार्पोरेशन आफ़ बंगाल को—देने के लिये सहमत हो गई है। इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को डेढ़ करोड़ तथा दूसरी को एक करोड़ की राशि पहिले ही दी जा चुकी है। इस ऋण के लिये सन् १९५२-५३ के आयव्ययक प्राक्कलनों में डेढ़ करोड़ का उपबन्ध किया गया है और सन् १९५३-५४ के आयव्ययक के प्राक्कलनों में एक करोड़ का उपबन्ध करने का विचार है।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस कार्पोरेशन को दिया गया ऋण उसी कार्य के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है जिस के लिये कि यह दिया गया था ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, ऐसा ही है ।

**श्री एम० ऐल० द्विवेदी :** श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत इस कार्पोरेशन के मामलों के विषय में कोई जांच की जा रही है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य धारा १५ के अन्तर्गत जांच से है, तो ऐसी किसी जांच की मांग नहीं की गई है।

**मोटा कपड़ा**

*४५०. **श्री एम० ऐल० द्विवेदी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मोटे कपड़े के प्रदाय की स्थिति भी सुधर गई है अथवा क्या केवल कपड़े की अन्य किस्मों के मामले में ही सुधार हुआ है;

(ख) क्या मोटे कपड़े का अब भी राशन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राशनिंग शीघ्र ही हटाया जाने वाला है ;

(घ) क्या मोटी धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन बढ़ रहा है ; तथा

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ):** (क) सभी प्रकार के कपड़ों की प्रदाय स्थिति सुधर गई है ।

(ख) बिहार राज्य में धोतियों, साड़ियों तथा मार्कीन की मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े की कतिपय किस्मों को छोड़ कर कहीं कोई राशन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ मोटे कपड़े का भारत से बाहर निर्यात किया जा रहा है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, ऐसी ही बात है।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** साड़ी आदि जैसा मोटा कपड़ा अब भी कई स्थानों में साधारण जनता को क्यों नहीं मिलता है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, वस्तुओं के सुगमता से लाने ले जाने के सम्बन्ध में ढील देने का निश्चय सरकार ने अभी हाल में किया है और संभवतः राज्य सरकारों ने इस निश्चय को इतनी तेज़ी से क्रियान्वित नहीं किया है, किन्तु अब वे सब इस निश्चय को क्रियान्वित कर रही हैं और अब तो जिन क्षेत्रों में संभरण की कमी है उन में वस्तुओं के पहुंचने के लिये समय का प्रश्न है ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूँ कि इस कपड़े की प्रदाय स्थिति के कब तक सुधरने की संभावना है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, यह तो मेरे सामर्थ्य से बाहर है।

**सेठ अचल सिंह:** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ज़रूरत से ज्यादा कपड़ा पैदा होने पर कंट्रोल (नियंत्रण) रखने की ज़रूरत है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, यह विचार कि कपड़े के उत्पादन का आधिक्य है, एक ऐसा विचार है जिससे कि सरकार सहमत नहीं हो सकती।

**श्री एस० एन० दास:** श्रीमान्, भाग (घ) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि मोटी धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मैं प्रतिशतक तो नहीं बतला सकता। मैं वस्तुतः गांठों के आंकड़े बतला सकता हूं। धोतियों के सम्बन्ध में क्रमशः सुधार हुआ है क्योंकि सितम्बर १९५१ में मध्यम श्रेणी के कपड़े की ३१,८४० गांठों का उत्पादन हुआ था और मार्च में ३४,१५५ गांठों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार सितम्बर १९५१ में मोटे कपड़े की ५११ गांठों का उत्पादन हुआ था और मार्च १९५२ में १०२१ गांठों का उत्पादन हुआ। साड़ियों के सम्बन्ध में सितम्बर में मध्यम किस्म की १३,७१२ गांठों का उत्पादन हुआ और मार्च १९५२ में २३,६३८ गांठों का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार मोटी किस्म की साड़ियों की ४९ गांठों का सितम्बर १९५१ में तथा २४७ गांठों का मार्च १९५२ में उत्पादन हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थिति में सुधार हुआ है।

**श्री एन० बी० चौधरी:** मैं जान सकता हूं कि मोटे कपड़े को इधर उधर भेजने में ही कठिनाई क्यों होती है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** मुझे यह विदित नहीं कि ये कठिनाइयां किसी एक विशेष प्रकार के कपड़े के सम्बन्ध में ही पुंजीभूत हो गई है। मैं समझता हूं कि सभी प्रकार के कपड़े के भेजने में कठिनाई होती है। संभवतः क्योंकि मोटे और मध्यम श्रेणी के कपड़े की मांग अधिक है इसलिये लोग यह अनुभव करते हैं कि इन के भेजने में ही कठिनाई है। किन्तु ऐसी बात नहीं है।

**श्री सारंगधर दास:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने जो आंकड़े बतलाये हैं उन के अनुसार हाल ही में उत्पादन विगत समय से दुगना या तिगुना कैसे बढ़ गया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** यह कहना कि उत्पादन दुगना या तिगुना बढ़ गया है ठीक नहीं है। मैंने तो केवल यह दिखाने के लिये, कि झुकाव वृद्धि की ओर है, कुछ आंकड़े बतलाये थे। मैं निश्चय ही माननीय सदस्य के इस विचार की, कि इस में कोई २०० प्रतिशत या इस से अधिक की कोई सारभूत वृद्धि हुई है, पुष्टि नहीं करता। सामान्यतया उत्पादन का झुकाव स्थिरता की ओर है और इस विषय में स्थिति निस्संदेह सन्तोषजनक है।

**डा० जयसूर्य:** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि राज्य के मनोनीत व्यक्तियों ने मध्यम तथा मोटे किस्म के कपड़े के अभ्यंश क्यों नहीं लिये हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी:** श्रीमान्, यह तो बड़ी सीधी सी बात है। स्पष्ट है कि उन के यहां मांग नहीं है। इस के साथ ही और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, अर्थात् उन के पास उपलब्ध पूंजी सीमित

हो या संभवतः क्योंकि वे राज्यों के मनोनीत व्यक्ति हैं वे सामान्य व्यापारिक रीतियों से अभ्यस्त न हों और कुछ आवश्यकता से अधिक सजग हों । ये तो मनोवैज्ञानिक बातें हैं। किन्तु यह बात ठीक है कि राज्यों के मनोनीत व्यक्ति, अपना अभ्यंश नहीं ले रहे हैं और इस का सीधा उत्तर यह है कि वे यह अनुभव करते हैं कि सामान्यतया वे जितना माल उठायेंगे उतनी मांग नहीं होगी।

**श्री सारंगधर दास :** पिछले अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि गत अवधि में उत्पादन कम क्यों हुआ था। क्या रुई का अभाव या श्रम संकट जैसा कोई कारण था जिससे कि इस बार की अपेक्षा उत्पादन कम हुआ था ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, सितम्बर, १९५१ से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में सरकार के लिये कोई आग्रहपूर्वक पूछताछ करने का प्रश्न नहीं था । साधारण अवस्थाओं के प्रश्न के अतिरिक्त और कोई बाह्य कारण नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि ऊंचे भावों के कारण रुई की स्थिति कुछ कठिन थी और भाव धीरे धीरे गिर रहे थे। मैं कोई ऐसा तथ्य निश्चयपूर्वक नहीं बतला सकता जिससे कि माननीय सदस्य की बात की पुष्टि हो जाये।

**भारतीय उत्पादों के सम्बन्ध में शिकायतें**

*४५१. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किन्हीं ग्राहक देशों से भारतीय उत्पादों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें आई हैं ?

(ख) क्या निर्यात की जाने वाली चीजों की जांच करने तथा उन की श्रेणियों के अनुसार उन पर कागज चिपकाने के लिये कोई निरीक्षण बोर्ड है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):** (क) तथा (ख) । व्यापार में आयातों अथवा निर्यातों के सम्बन्ध में शिकायतें कोई असाधारण बात नहीं होती । जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं उन सब की जांच के लिये कोई निरीक्षण बोर्ड नहीं है। व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रथाएं हैं उन के अनुसार ग्राहक तथा विक्रेता-गण अपना प्रबन्ध स्वयं कर लेते हैं।

**श्री गुरुपादस्वामी :** श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इंग्लैंड के समान निर्यात के लिये कोई विशेष किस्में तैयार करने का प्रबन्ध किया है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, मैं यह नहीं समझ सका कि यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उठता है ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई पग उठाये गये हैं।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री के० जी० देशमुख :** वे देश कौन से हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** जो उत्तर दिया गया है उस में इन शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया है।

**नारियल की जटा तथा उस से बनी वस्तुयें**

*४५३. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राज्य अमरिका तथा ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी देश ने भारत सरकार से नारियल की जटा तथा उस से बनी हुई वस्तुओं के भारत से मंगाने के सम्बन्ध में पूछताछ की है ?

(ख) यदि ऐसी कोई पूछ ताछ की गई है, तो भारत सरकार ने उन के विषय में क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्ज तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) गत दो वर्षों में कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, हांगकांग तथा स्विटज़रलैण्ड के सार्थों ने नारियल की जटा तथा उस से बनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारिक पूछ ताछ की थी।

(ख) पूछ ताछ करने वाले सार्थों को भारत में इन वस्तुओं के निर्यातकों की सूचियां भेज दी गई थीं और उन की जिज्ञासा को भारतीय निर्यातकों को बता दिया गया था ।

**श्री वी० पी० नायर** : श्रीमान्, क्या सरकार को यह विदित है कि त्रावनकोर और मालाबार राज्यों में नारियल की जटा के उद्योग बड़े भारी संकट में हैं ?

**श्री करमरकर** : जी हां, श्रीमान् । सरकार को यह विदित है कि गत कुछ मासों से नारियल की जटा के उद्योग में मंदी आ गई है और इसलिये हम ने हाल ही में नारियल की जटा के उद्योग के भविष्य को सुधारने की दृष्टि से इस के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार जांच करने के लिये एक विशेष पदाधिकारी को भेजा है।

**श्री वी० पी० नायर** : जो लाखों लोग बेकार हो गये हैं उन्हें काम दिलाने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

**श्री करमरकर**: श्रीमान्, यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसे सुलझाना मुख्यतः राज्य सरकार का काम है।

**श्री वैलायुधन** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस के कारणों की जांच की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा न्यूज़ीलैण्ड जैसे अन्य देशों से इस की मांग क्यों नहीं आई ?

**श्री करमरकर** : इस का स्पष्ट कारण यह है कि मांग में कमी हो गई है। अभी कुछ समय के लिये उन्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है।

**श्री वैलायुधन**: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात हो गया है कि क्विलोन स्थित यूरोप के बड़े बड़े व्यापारियों की ओर से एक संगठित प्रयत्न किया गया था ?

**अध्यक्ष महोदय**: सदस्य महोदय वही प्रश्न पूछ सकते हैं जो नियमों के अन्तर्गत पूछे जा सकते हैं ।

**श्री नम्बियार** : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी और इस से प्रभावित बेकार व्यक्तियों को अन्तरिम सहायता देगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल पुनरावृत्ति है। ये सब तो कार्य करने के लिये सुझाव हैं। यह तो मुख्यतया राज्य सरकार का काम है।

**श्री एन० एस० नायर** : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या व्यापारिक करारों में सम्मिलित वस्तुओं में नारियल की जटा की वस्तुएं भी सम्मिलित हैं ?

**श्री करमरकर** : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि ऐसी ही बात है। हम ने ब्रह्मा, इटली और जर्मनी के साथ किये अपने करारों में नारियल की जटा के निर्यात को प्रोत्साहन दिया है।

**नारियल की जटा तथा जटा से बनी वस्तुएं (निर्यात)**

*४५४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वांणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन को कुल कितनी मात्रा में नारियल की जटा तथ

इस से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : सन् १९५०, १९५१ तथा जनवरी-मार्च १९५२ में संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमश: ८,२५५ टन, ५,५२६ टन तथा १,१४९ टन और ब्रिटेन को क्रमश: २०,६८० टन, १९,७७१ टन तथा ३,६२७ टन नारियल की जटा तथा जटा निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया गया था ।

**श्री वी० पी० नायर** : श्रीमान्, भारत में नारियल की जटा की कितनी खपत होती है ?

**श्री करमरकर** : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**श्री नम्बियार** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सरकार नारियल की जटा के उद्योग में इस समय पड़ी हुई मंदी का सामना करने के लिये, जिस से कि बेकार हुए कर्मचारियों को सहायता मिल सके, क्या कार्यवाही करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य सरकार का काम है ।

**श्री वैलायुधन** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि एक संगठित प्रयत्न किया गया था .....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दूंगा ।

**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार ने उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिये, जो बेकार हो गये हैं कोई पग उठाये हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह पहिले ही कह चुके हैं कि यह राज्य सरकार का काम है ।

**श्री पी० टी० चाको** : : क्या मैं गत वर्ष संयुक्त राज्य अमरिका को निर्यात की गई नारियल की जटा से बनी वस्तुओं का मूल्य जानसकता हूं ?

**श्री करमरकर** : यह ७ लाख ५८ हज़ार है। यह सन् १९५१ के लिये है।

**श्री ए० एम० टामस** : क्या सरकार ने एक नारियल जटा पर्षद् बनाना उचित समझा है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह तो कार्य करने के लिए एक सुझाव दे रहे हैं ।

**श्री पी० टी० चाको** : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या नारियल उत्पादन की उन्नति के लिये परिनियत समिति द्वारा इस विषय का एक संकल्प पारित किया गया है कि नारियल जटा के उद्योग को भी इस समिति के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाये ?

**श्री करमरकर** : मैं इस का पता लगाऊंगा ।

## ल्हासा में तिब्बतियों तथा चीनियों में मुठभेड़

*४५५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास ल्हासा में तिब्बत वासियों तथा अधिकार करने वाली चीनी सेनाओं के मध्य हाल में हुई मुठभेड़ के विषय में विस्तृत जानकारी है ;

(ख) क्या इस में कोई भारतीय भी अन्तर्ग्रस्त था ; तथा

(ग) क्या इस मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप किसी भारतीय सम्पति की हानि हुई है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) सरकार को १ अप्रैल, १९५२ को चीनी सैनिकों तथा कुछ एक तिब्बतियों के मध्य हुई छोटी सी मुठभेड़ की सूचना मिली है,

किन्तु उन के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : श्रीमान् क्या इस मुठभेड़ के पश्चात् तिब्बतियों का भारत में कोई निष्क्रमण हुआ है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि कोई विशेष निष्क्रमण हुआ है । समय समय पर कुछ एक तिब्बती थोड़ी संख्या में भारत आते रहते हैं, किन्तु मुझे उन की संख्या में किसी बहुत अधिक वृद्धि की सूचना नहीं मिली है।

**श्री मेघनाद साहा** : क्या सरकार को यह विदित है कि हाल के चीनी मानचित्रों में भूटान को चीन का एक भाग दिखाया गया है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने उन विशेष मानचित्रों को नहीं देखा है । मैं जानता हूं कि पुराने चीनी मानचित्र में भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र के कुछ भाग दिखाये गये थे, और जब इस बात की ओर चीनी सरकार का ध्यान दिलाया गया तो उस ने कहा कि वे उन पुराने मानचित्रों को कोई महत्व नहीं देते हैं क्योंकि नये सिरे से मानचित्र छापने का उसे समय नहीं मिला है।

**श्री मेघनाद साहा** : मैं उन मानचित्रों की बात कह रहा हूं जो बिल्कुल हाल के हैं।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य के पास जो मानचित्र हैं वह उन्हें मेरे पास भेज सकते हैं और मैं उस विषय पर विचार करूंगा ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि कुछ चीनी तिब्बती शरणार्थियों के रूप में भारत आ रहे हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चीनी बिना कोई भेस बदले चीनियों के रूप में ही भारत आते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिये साधारण रूप में भारत आने में कोई कठिनाई नहीं है।

## अस्थि-चूर्ण का निर्यात

*४५६. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अब भी भारत से अस्थि-चूर्ण विदेशों को निर्यात किया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : जी नहीं, श्रीमान् ।

**श्री पी० एन० राजभोज** : मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों में अस्थि-चूर्ण के कारखानों को संरक्षण देने में क्या अब भी भेद-भाव बरता जाता है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जहां तक मैं जानता हूं, मेरे विचार से अस्थि-चूर्ण को कोई विशेष संरक्षण नहीं मिला हुआ है । वास्तव में हम तो अस्थि-चूर्ण के निर्यात को रोक रहे हैं। इसलिये अस्थि-चूर्ण सिवाय मिश्रित रूप में और अन्य प्रकार के उर्वरकों को छोड़ कर हमारे यहां नहीं आता। अतः माननीय सदस्य जो स्थिति समझ रहे हैं मुझे तो उस का ज्ञान नहीं है।

## बिहार का पटसन

*४५७. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बिहार के पटसन के भाव कलकत्ता के पटसन बाजार में आसाधरण रूप से गिर गये हैं ?

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि कलकत्ते में बिहार के पटसन के जो मूल्य दिये जा रहे हैं उन से किसान का उत्पादन व्यय भी पूरा नहीं हो सकता ?

(ग) क्या सरकार को यह विदित है कि कलकत्ते के पटसन बाज़ार में विदेशी पटसन के विहार की पटसन अथवा पश्चिमी बंगाल के पटसन से भी अधिक अच्छे मूल्य दिये जाते हैं और उन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है जिस का परिणाम यह हुआ है कि ग्राहकों के अभाव के कारण कलकत्ते के बाज़ार में विहार का पटसन बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है ?

(घ) सरकार का विशेष रूप से बिहार के पटसन तथा सामान्यतया भारतीय पटसन के मूल्यों को पुनः उसी स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) कलकत्ते के बाज़ार में बिहार के पटसन का मूल्य लगभग उतना ही गिरा है जितना कि अन्य प्रकार के पटसन के गिरा है।

(ख) अधिकांश पटसन उपजाने वालों ने अपनी फसल फरवरी तक बेच डाली थी और उन्हें अच्छे दाम मिल गये थे। यह बताना संभव नहीं है कि बिहार के पटसन उपजाने वालों ने फरवरी के भावों से लाभ उठाया था या नहीं।

(ग) पाकिस्तानी पटसन की कुछ किस्में भारतीय पटसन की अपेक्षा अच्छी किस्म की हैं और उन के सदा ही अच्छे दाम मिलते रहे हैं। किन्तु इस समय मिलें पाकिस्तानी पटसन नहीं खरीद रही हैं क्योंकि उन के मूल्य ऊंचे हैं। कलकत्ता के बाज़ार में कच्चे पटसन के संग्रह को बहुत असाधारण नहीं समझा जाता। कुछ समय से मिलों द्वारा इसके क्रय में वृद्धि के आसार दिखाई दे रहे हैं।

(घ) सरकार स्थिति को ध्यान से देखती रहेगी।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सत्य है कि मूल्यों में गिरावट के कारण बिहार के किसानों ने पटसन की खेती कम कर दी है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या सरकार का विचार पटसन का कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने का है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी**: सरकार का इस समय ऐसी कोई चीज़ करने का विचार नहीं है।

**श्री मेघनाद साहा** : क्या सरकार को विदित है कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पूर्वी बंगाल के पटसन के चौर्यानयन का कार्य बड़े परिमाण में हो रहा है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

## कोसी बांध परियोजना

*४५८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि कोसी बांध परियोजना को कार्यान्वित करने के लिय पंचवर्षीय राष्ट्रीय योजना (जो कि अब षड़वर्षीय योजना में परिवर्तित कर दी गई है) सम्मिलित कर लिया गया है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार का इस विषय में कौन से पग उठाने का विचार है और जैसा कि राष्ट्रीय योजना में दर्शाया गया है इस के सम्पन्न होने से सरकार को क्या फल प्राप्त होने की आशा है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) इस परियोजना को पंचवर्षीय योजना के प्रथम भाग में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि इसे द्वितीय भाग में सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या यह सत्य है कि परामर्शदात्री समिति ने बेल्का बांध परियोजना के निर्माण का सुझाव दिया है ?

**श्री नन्दा** : जी हां।

**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या सरकार का विचार उस सिफारिश को स्वीकार करने का है ?

**श्री नन्दा** : वह सिफारिश विचाराधीन है।

**श्री राधेलाल व्यास** : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य नदी घाटी परियोजनाओं को, जिन पर कोसी परियोजना की अपेक्षा कम लागत आयेगी और जो अधिक लाभदायक होंगी, कोसी परियोजना की अपेक्षा प्रधानता दी जायेगी ?

**श्री नन्दा** : विभिन्न परियोजनाओं के गुणावगुण की परीक्षा की जा रही है।

**श्री बी० आर० भगत** : क्या आयोग ने कोसी परियोजना के संशोधित प्राक्कलनों को मंजूर कर लिया है ?

**श्री नन्दा** : परामर्शदात्री समिति ने जो संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किये हैं योजना आयोग ने उन पर विचार किया है और उन के सम्बन्ध में आगे और कुछ छानबीन हो रही है।

## अख़बारी कागज़

*४५९. **श्री पी० एन० राजभोज** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरीका ने हमारे देश को अख़बारी कागज़ देना बिल्कुल बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त अख़बारी कागज़ प्राप्त करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) संयुक्त राज्य अमरीका भारत को अख़बारी कागज़ बिलकुल नहीं देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या यह बात सही नहीं है कि हिन्दुस्तान में भी न्यूज़ प्रिंट (अख़बारी कागज़) बनाने के लिये एक मिल बन रही है और उस मिल को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता पहुंचाने का विचार किया जा रहा था ? इस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

**श्री करमरकर** : इस में से यह प्रश्न नहीं निकलता। अगर वह निकलता हो तो .....

**सेठ गोविन्द दास** : जी नहीं, इस में से यह प्रश्न निकलता है। पार्ट "बी" (भाग "ख") से यह निकलता है।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। तर्क वितर्क न किये जायें। यह माननीय मंत्री तथा माननीय सदस्य के मध्य तर्क करने का प्रश्न नहीं है। इस का निर्णय करना सभापति का काम है।

**सेठ गोविन्द दास** : सभापति जी, मैं यही कह रहा था। श्रीमान्, मैं केवल आप को यह सुझाव दे रहा था कि मेरा प्रश्न भाग (ख) से निकलता है। भाग (ख) में यह पूछा गया है: यदि हां, तो पर्याप्त

अख़बारी कागज़ प्राप्त करने के लिये क्या वकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि यह निकलता है।

**श्री गुरुपादस्वामी** : अख़बारी कागज़ किन देशों से आयात किया जाता है ?

**श्री करमरकर** : कुछ उत्तरी यूरोप के देशों तथा कैनाडा से। किन्तु यदि ठीक ठीक जानकारी की आवश्यकता हो तो मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

**श्री गुरुपादस्वामी** : मैं जान सकता हूं कि हमारे देश में अख़बारी कागज़ का कितना उत्पादन होता है और हमारी आवश्यकता कितनी है ?

**श्री करमरकर** : हमें सन् १९५१ के लिये लगभग ५४,००० टन की आवश्यकता थी और इस समय उत्पादन कुछ नहीं है।

**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछ सकता हूं कि सरकार की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समाचारपत्र के कागज़ के उत्पादन को बढ़ाने का भी विचार किया गया है ?

**श्री करमरकर** : प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) के मंत्री बोलें।

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : जी हां, श्रीमान्, इस प्रश्न पर विचार तो किया गया है किन्तु मैं ठीक ठीक जानकारी नहीं दे सकता।

**श्री बी० शिवा राव** : देश में अख़बारी कागज़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार के समक्ष समाचारपत्रों के मूल्य तथा पृष्ठों की संख्या पर से लगे नियंत्रण को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

**श्री करमरकर** : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आगामी कुछ मासों में इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया जायेगा।

**इम्फाल के निकट कोयला**

*४६०. **श्री एल० जे० सिंह** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इम्फाल से २८ मील दूर मोयरंग गांव की एक पहाड़ी से कोयला निकला है ?

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का कोयला है और इसकी शक्यताएं क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में खोज करने तथा कोयला खानों को ढूंढने का कोई प्रयत्न किया है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) मोयरंग गांव में कोयला मिलने का कोई अभिलेख नहीं है।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न नहीं उठते।

**श्री एल० जे० सिंह** : मैं यह जान सकता हूं कि क्या मोयरंग के लोगों को हाल में एक पहाड़ी में कोयला मिला था और उस कोयले का एक नमूना मनीपुर राज्य के अधिकारियों के समक्ष परीक्षा के लिये लाया गया था ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। किन्तु कोयला आयुक्त, भारतीय खान विभाग के संचालक और भारत के प्राणकीय परिमाप के संचालक का, जिन तीनों से कि परामर्श किया गया था, यही एकमत है कि इस गांव में कोयला नहीं मिलता।

**ग्राम्य विकास**

*४६१. **श्री के० डी० मालवीय** : (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तरीके पर ग्राम्य क्षेत्रों में सहयोगपूर्ण विकास कार्य करने के लिये अब तक किन पगों का निश्चय किया

गया है और सरकार का संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके विशेषज्ञों की किस प्रकार से सहायता लेने का विचार है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं क्षेत्रों को चुना गया है जहां कि शीघ्र ही बड़े जोरों से ग्राम्य विकास कार्य आरम्भ किया जायेगा और यदि हां तो वे क्षेत्र कौन-से हैं ?

(ग) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण योजना तैयार है जिस के अनुसार कि स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को चुने हुए क्षेत्रों में कार्य के लिये तैयार किया जायेगा ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (ग) । मैं टैकनिकल सहायता करार के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर संचालन करार संख्या ८ के अनुच्छेद २, ३, ६ और ७ की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं । एक प्रति पटल पर रखी जाती है । **[प्रति पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ४ च, ४१(६)]**

**रेडियो गोआ**

***४६२. श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेडियो गोआ द्वारा कोई भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिरोध करने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्, हमें तो ज्ञात नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या सरकार की सूचना जांच पर आधारित है ?

**डा० केसकर** : जी हां, श्रीमान् ।

**सरकारी गृहनिर्माण फ़ैक्टरी**

***४६३. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का सरकारी गृह निर्माण फैक्टरी के संचलन का एक ऐसा वृत्तान्त रखने का विचार है जिस में कुल विनियोजित धन तथा जो हानि आदि हुई है उस के सम्बन्ध में आंकड़े दिये हुये हों; तथा

(ख) गृह निर्माण फैक्टरी के सम्बन्ध में राज्य के वित्त को यदि कोई हानि हुई है तो उस के लिये कौन उत्तरदायी था और इस विषय में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या थी ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) फैक्टरी के संचलन का एक संक्षिप्त वृत्तान्त जिस के साथ कि ३० अप्रैल, १९५२ तक फैक्टरी पर किये गये व्यय का एक विवरण भी है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) क्योंकि पहिले जिस प्रकार के पूर्व-निर्मित घरों को बनाने का विचार किया गया था अब उस से भिन्न प्रकार के घरों को बनाने के लिये कारखाने को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है, अतः सर्वथा हानि की बात अभी तक निश्चित रूप से तय नहीं हो पायी है ।

**श्री ए० के० गोपालन** : मैसर्ज़ इंजीनियर्स आफ इंडिया के साथ संविदा के पद क्या थे और जब वे अपने संविदा को पूरा नहीं कर सके तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : मैं सब विस्तृत बातें तो नहीं बतला सकता, किन्तु इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की गई है;

अभी यह बताने का समय नहीं है कि सरकार अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही करेगी ।

**श्री ए० के० गोपालन** : क्या उन से कोई प्रतिकर मांगा गया था ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : इस सम्बन्ध में अग्रेतर विस्तृत जानकारी देने के लिये मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

**श्री ए० के० गोपालन** : मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने भारतीय स्वीडिश सार्थ को आगे और कोई अगाऊ धन दिया है ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जी नहीं, श्रीमान् ।

**श्री ए० के० गोपालन** : इस का क्या तात्पर्य है कि "सर्वथा हानि की बात अभी तक निश्चित रूप से तय नहीं हो पायी है" ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जैसा कि विवरण में दिखाया गया है कुल लगभग १९ लाख रुपये की हानि का अनुमान है, किन्तु हम इस अवस्था में यह घोषणा नहीं कर सकते कि यह सर्वथा हानि ही हुई है, क्योंकि हमारे पास इस कारखाने का अन्य भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाने का प्रस्ताव है । और जिसे अब हानि समझा जाता है वह अन्त में हानि न निकले ।

## खादी उत्पादन

*४६४. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना तैयार की है या उस पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या गत वर्ष सरकार ने अन्य मंत्रालयों को खादी का उपयोग बढ़ाने के बारे में आदेश दिये थे ;

(ग) यदि दिये थे, तो क्या खादी के उपयोग में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि वृद्धि हुई है, तो कितनी ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री ( श्री करमरकर)** : (क) कतिपय राज्य सरकारों ने खादी की उन्नति के लिये योजनायें आरम्भ की हैं । खादी की उन्नति में केन्द्रीय सरकार की रुचि कुटिरोद्योगों तथा दस्तकारी के विकास की योजनाओं से सम्बद्ध है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार प्रोत्साहन तथा उसके परिणामस्वरूप खादी के उत्पादन में वृद्धि के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ) । उत्पन्न नहीं होते ।

भाग (क) के सम्बन्ध में मैंने जो लिखित उत्तर दिया है उस के अतिरिक्त मैं यह भी बतला दूं कि १९५१-५२ में हम ने खादी की उन्नति के लिये २ लाख रुपये का नाममात्र का अनुदान दिया था और इसे खादी संघों के उपयोग के लिये उन्हें दे दिया था ।

**श्री आर० एस० तिवारी** : इस के अनुसार सरकार ने कितना खर्च किया है ?

**श्री करमरकर** : मैं ने अभी कहा कि गये वर्ष में दो लाख रुपया अखिल भारतीय चर्खा संघ के डिस्पोज़ल (उपयोगार्थ) पर रखा था ताकि खादी को प्रोत्साहन मिले ।

**श्री आर० एस० तिवारी** : क्या सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत स्वयं खादी को खरीद की है ?

**श्री करमरकर** : मैं जानता हूं कि टैक्सटाइल कमिश्नर (कपड़ा आयुक्त) के मार्फत कुछ खरीदी गई है । ये फिगर्स (आंकड़े) हैं :

| | रुपये की खादी |
|---|---|
| १९५०-५१ में . | ६०,२७७ |
| १९५१-५२ में . . | ६७,२८७ |

मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि रेल मंत्रालय ने सभी रेलों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे अपनी कपड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जहां तक सम्भव हो सके खादी को ही अपनायें ।

**श्री एस० एन० दास** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि खादी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और बिक्री कम होती है इस वजह से काम में बाधा पड़ने वाली है ?

**श्री करमरकर:** समझा नहीं ।

**श्री एस० एन० दास:** मेरा यह मतलब है कि क्या सरकार को मालूम है कि खादी का उत्पादन बहुत हो जाने के कारण से और उस की खपत या बिक्री कम होने से खादी के काम में बाधा पड़ती है ?

**श्री करमरकर:** सरकार यह जानती है कि खादी की पैदावार ज्यादा होने लगी है और उस की खपत कम है इस बारे में सरकार जो कर सकती है वह करने की कोशिश करेगी ।

**श्री एस० एन० दास:** क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये विचार रखती है कि जो उस के अपने काम हैं उस में खादी का इस्तेमाल किया जाये ?

**अध्यक्ष महोदय:** यह तो थोड़ा बहुत कार्यार्थ एक सुझाव सा है—वह चाहते हैं कि सरकार को अपने उपयोग के लिये खादी खरीदनी चाहिये ।

**सेठ अचल सिंह:** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २ लाख की सहायता दी गई है उस से कितनी ज्यादा खादी बनी है ?

**श्री करमरकर:** उस रक़म को दिये हुये तो अभी कुछ ही महीने हुये हैं ।

**श्री जांगड़े:** क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय चर्खा संघ को रूई लेने में सरकार ने कोई सहूलियत नहीं दी जिस के कारण गत वर्ष खादी उत्पादन में बहुत कमी हुई ?

**श्री करमरकर:** जी नहीं, श्रीमान् । मैं इस सुझाव का खण्डन करता हूं । वास्तव में, जहां कहीं किसी भी खादी उत्पादन केन्द्र से रुई के यातायात के सम्बन्ध में सहायता के बारे में शिकायत आई हम ने उन्हें बड़ी प्रसन्नता से सहायता दी ।

**सेठ गोविन्द दास** : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि सरकार को यह बात मालूम है कि खादी की बिक्री कम हो गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सरकार के जितने महकमे हैं उन सब में खादी खरीदने में क्या दिक्कत होती है ?

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ समय पूर्व बिलकुल यही प्रश्न पूछा गया था और मैं ने उसे कार्य करने के लिये एक सुझाव होने के कारण अनियमित ठहरा दिया था—यह भी एक तर्क है ।

**श्री आर० एस० तिवारी:** खादी की तरक्क़ी के लिये सरकार ने क्या कोई कोशिश की है ?

**श्री करमरकर:** मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

### लवंग आयात

***४६५. श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों से भारत में आयात की जाने वाली लवंग की मात्रा ; तथा

(ख) क्या लवंग के बदले में कोई विशेष पदार्थ निर्यात करने होते हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)**: (क) सन् १९५१-५२ में भारत में ८४,०१८ हंडरवेट लवंग का आयात किया गया था।

(ख) इस देश में आयात किये गये लवंगों के बदले में विशेष रूप से किसी पदार्थ का निर्यात नहीं किया जाता है।

**राजघाट समाधि**

*४६६. **प्रो० अग्रवाल**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) राजघाट समाधि पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है; तथा

(ख) चालू वर्ष में आगे और कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) अब तक कुल ५,७९,४६७ रुपये का अनावर्तक व्यय हुआ है। इस के अतिरिक्त मार्च १९५२ के अन्त तक इस के संधारण पर ८४,४४३ रुपये और भी व्यय हुये हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस के संधारण पर लगभग ६५,००० रुपये आगे और व्यय होने की सम्भावना है।

**प्रो० अग्रवाल**: क्या यह सही है कि गांधी समाधि के आसपास जो ज़मीन है वह गांधी स्मारक निधि को दे दी गई है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह**: श्रीमान्, मुझे ज्ञात नहीं है। इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है।

**श्री नामधारी**: महात्मा गांधी के धर्म निरपेक्ष उपदेशों को ध्यान में रखते हुये तथा उन की प्रार्थनाओं के आश्चर्यजनक प्रभाव को ध्यान में रखते हुये जिस के फ़ल-स्वरूप कि राष्ट्र को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार राज-घाट के मैदान के चारों कोनों पर एक गुरु द्वारा, एक मन्दिर, एक मस्जिद और एक गिरजाघर बनवाने पर विचार करेगी...

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कार्यार्थ एक सुझाव दे रहे हैं। इस की यहां अनुज्ञा नहीं है।

**श्री नामधारी**: जी नहीं, श्रीमान्। यह तो एक प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय**: आप का प्रश्न क्या है ?

**श्री नामधारी**: ...जिस से कि अपने अपने धर्मों के अनुसार प्रार्थना के आन्दोलन को सुविधा और प्रोत्साहन मिल सके और इस प्रकार राजघाट विश्व का एक धार्मिक केन्द्र बन जाये ?

**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति। मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री दातार**: मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का इस पर कुल कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय**: खादी का प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न।

---

श्री **दातार**: मैं ने तो गांधी समाधि के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था।

**अफ़ीकी रुई**

*४६७. **डा० पी० एस० देशमुख**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने भारत की कपड़ा मिलों में वितरण के लिये कितनी अफ़्रीकी रूई ख़रीदी है ?

(ख) अफ़्रीकी रुई का किस भाव पर सौदा किया गया था और क्या यह सत्य

है कि सौदे का भाव २,३०० रुपये प्रति खण्डी था ?

(ग) सौदे का भाव क्या था और कितनी रुई खरीदी गई थी ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इसके पश्चात् बहुत शीघ्र ही जैसी कि सम्भावना थी अफ़्रीकी रुई के भाव बहुत गिर गये और भाव १,६०० रुपये प्रति खण्डी तक पहुंच गये ?

(ङ) सब से कम भाव कहां तक और किस दिन हुआ था ?

(च) क्या यह सत्य है कि भारतीय कपड़ा मिलें इस रुई को खरीदना नहीं चाहती हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) लगभग १,६०,००० गांठें ।

(ख) पूर्वी अफ़्रीकी रुई की बी० पी० ५२ क़िस्म की रुई के लिये बम्बई के गोदाम में पहुंचाने तक २,४०५ रुपये ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में यह जानकारी दी हुई है ।

(घ) लगभग एक मास पश्चात् भाव गिर गये थे ।

(ङ) १८ अप्रैल, १९५२ को बम्बई के गोदाम में पहुंचाने तक १,५६६ रुपये प्रति खण्डी ।

(च) जी नहीं ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** मैं यह जान सकता हूं कि इस रुई के सम्बन्ध में मिल मालिकों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** मुझे खेद है कि मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता । मैं नहीं समझता कि मैं उन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके ठीक ठीक उत्तर दे सकूंगा ।

**डा० पी० एस० देशमुख :** क्या यह सत्य है कि भाव में इस कमी के कारण मिल मालिक इस रुई को उठा नहीं रहे हैं और वे इसे लेने के लिये बड़े अनिच्छुक हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** इस में सन्देह नहीं कि इस रुई को उठाने में सामान्य रूप से अनिच्छा प्रगट की जाती रही है जैसा कि अन्य वस्तुओं के मामले में होता है जिन के कि भाव गिर गये हैं और मैं समझता हूं कि वित्त प्राप्त करने में भी कुछ कठिनाई रही है । वित्त के सम्बन्ध में मिल मालिकों की सहायता करने के लिये सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है और जैसा कि मुझे अब ज्ञात हुआ है अब ऐसी कोई अनिच्छा नहीं रही है ।

**श्री एस० जी० पारिख :** क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिलों ने कितनी रुई मांगी है, वितरण के लिये क्या ढंग अपनाया गया है और क्या वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** श्रीमान्, मैं यह चाहता हूं कि प्रश्न एक एक करके पूछे जायें ।

**श्री एस० जी० पारिख :** मिलों ने कितनी रुई मांगी है ?

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** किस चीज की कितनी मात्रा ?

**श्री एस० जी० पारिख :** यह प्रश्न अफ़्रीकी रुई के सम्बन्ध में है ।

**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी :** स्थिति यह है कि हमारा आयात कार्यक्रम निम्न लिखित आधार पर तैयार किया गया है । हमारा अनुमानित उत्पादन लगभग ३४ लाख गांठों का समझा गया था और इस आधार पर मिलों तथा व्यापारियों के पास आरम्भ में १५ लाख गांठों का संग्रह, योग फ़सल की अनुमानित ३४ लाख गांठों

अर्थात् कुल ४९ लाख गांठों के उपलब्ध होने की आशा थी । मिलों में अनुमानतः ४२ लाख गांठों की खपत होती है, सितम्बर, १९५२ से जनवरी १९५३ तक चलने के लिये १७ लाख गांठों की आवश्यकता होती है, कारख़ानों के अतिरिक्त खपत ३ लाख गांठों की होती है, २ लाख गांठों का निर्यात होगा इस प्रकार कुल ६४ लाख गांठें होती हैं । इस प्रकार १५ लाख गांठों की कमी रहती है और इसी आधार पर आयातों की व्यवस्था की गई है ।

—•—

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### ऊन

*४२८. **श्री वैलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने ऊन के व्यापारियों की क्या सहायता की है क्योंकि ऊन का मूल्य ७५ प्रतिशत तक या लगभग इसी स्तर तक गिर गया है; तथा

(ख) क्या भारत के ऊन व्यापारी संघ ने इस विषय में सरकार से कोई निवेदन किया है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री-करमरकर)** : (क) कच्ची ऊन पर से मूल्यानुपातेन ३० प्रतिशत का निर्यात शुल्क १६ मार्च, १९५२ से हटा दिया गया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

### अपहृत स्त्रियां (पुनरुद्धार)

*४३४. **श्री बी० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अपहृत स्त्रियों के पुनरुद्धार का कार्य अब भी किया जा रहा है ;

(ख) आज तक कुल कितनी स्त्रियों का पुनरुद्धार किया जा चुका है;

(ग) इस के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) अपहृत अमुस्लिम स्त्रियों के पुनरुद्धार के लिये पाकिस्तान क्या सुविधायें दे रहा है ?

**रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) ३० अप्रैल, १९५२ तक भारत में १७,४९५ अपहृत व्यक्तियों का पुनरुद्धार किया गया है । उन में से १६,४८४ को पाकिस्तान में उन के सम्बन्धियों को पुनः सौंप दिया गया है और शेष को भारत में सौंप दिया गया है ।

(ग) प्रतिदिन की छानबीन और अपहृत व्यक्तियों के वास्तविक पुनरुद्धार के कार्य के लिये विशेष रूप से नियुक्त पुलिस कर्मचारी उत्तरदायी हैं, सरकार ने अपहृत व्यक्तियों की खोज तथा वापसी अधिनियम के उद्देश्यों का पालन करने के लिये और इस विषय में पाकिस्तान के साथ हुये क़रारों के प्रवर्त्तन का समान्य रूप से अधीक्षण करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त पदाधिकारी नियुक्त किया है इस के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का एक संघटन, जिस का नाम केन्द्रीय पुनरुद्धार संघटन है, दिल्ली में स्थापित किया गया है जिस की शाखायें विभिन्न राज्यों में हैं और जिस के काम ये हैं: (१) पाकिस्तान में इसी प्रकार के संघटन से निकट सम्पर्क बनाये रखना और (२) पुनरुद्धार किये गये व्यक्तियों को अपने सम्बन्धियों को सौंपने तक उन के स्वागत आदि के लिये जहां कहीं आवश्यकता हो वहां शिविर चलाना ।

(घ) इस विषय में वर्तमान भारत-पाकिस्तान क़रार के अनुसार अपहृत व्यक्तियों के पुनरुद्धार का उत्तरदायित्व उस देश की

सरकार का है जिसमें कि वे रहते हुये बतलाये जायें। तथापि सम्बद्ध पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय केन्द्रीय पुनरुद्धार संघटन से परामर्श करके और उस के सहयोग से कार्य करते हैं।

**जापान के साथ शान्ति सन्धि**

*४३८. **श्री बी० आर० भगत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या जापान के साथ एक अलग शान्ति सन्धि सम्पन्न करने के सब प्रबन्ध पूरे हो चुके हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सन्धि पर किस तिथि तक औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो जायेंगे ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र):** (क) तथा (ख)। जापान के साथ एक द्विपक्षीय सन्धि के भारत सरकार के प्रारूप पर जापान सरकार की टिप्पणीयां प्राप्त हो चुकी हैं और उन की परीक्षा की जा चुकी है। एक संशोधित प्रारूप जापान सरकार को भेज दिया गया है।

**सिक्किम का प्रशासन**

*४३९. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की सिक्किम यात्रा में सिक्किम में राज्य के प्रशासन के शीघ्र ही प्रजातंत्रीकरण का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो आश्वासन को कब और कैसे पूरा किया जायेगा ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) तथा (ख)। कोई नया आश्वासन देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मुख्य राजनैतिक दलों की सहमति से संवैधानिक सुधारों की एक योजना, जिस से कि लोगों का शासन के साथ सम्बन्ध हो सके, तैयार की गई है। योजना में विधान परिषद् के लिये जिन चुनावों की व्यवस्था की गई है उन के मानसून के शीघ्र पश्चात् ही होने की आशा है। प्रधान मंत्री ने यह आशा प्रकट की थी कि ये चुनाव यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र होंगे और नई योजना को क्रियान्वित किया जायगा।

**डा० ग्राहम का प्रतिवेदन**

*४४०. **श्री बी० आर० भगत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने काश्मीर के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान विवाद पर डा० ग्राहम के नवीनतम प्रतिवेदन की परीक्षा कर ली है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की मुख्य सिफ़ारिश यह है कि शेष मतभेदों पर विशेष रूप से सेनाओं की संख्या पर समझौता करने का प्रयत्न करने के लिये बातचीत जारी रखी जाये। इस विषय में भारत सरकार की स्थिति कई बार बतलाई जा चुकी है।

**सीमान्त घटनायें**

*४४१. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पश्चिमी बंगाल तथा आसाम और पूर्वी बंगाल के मध्य विवादग्रस्त तथा विवादरहित दोनों प्रकार की सीमाओं के सम्बन्ध में बैग्गे न्यायाधिकरण के पंचाट के पश्चात् सीमान्त पर कितनी घटनायें घटी हैं;

(ख) कितने मामलों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन का निर्णय किया गया ;

(ग) कितने मामलों पर अब भी निर्णय करना शेष है ;

(घ) कितने मामलों में केवल नागरिक ही अन्तर्ग्रस्त थे और आक्रान्ता थे ; तथा

(ङ) क्या भविष्य की घटनाओं को निबटाने के लिये सरकारें किन्हीं निश्चित पगों पर सहमत हो गई हैं ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) बंगाल सीमान्त : फरवरी १९५० से अप्रैल, १९५२ तक : २६१; आसाम सीमान्त : १९५० और १९५१ में : ७६।

(ख) और (ग)। बंगाल के सीमान्त के सभी महत्वपूर्ण मामलों को पूर्वी बंगाल सरकार को निर्दिष्ट कर दिया गया था और सीमा पर विवाद, ढोरों के उठाने और मनुष्यों के अपहरण सम्बन्धी बहुत-से मामलों का निर्णय हो गया था। नवम्बर, १९५० से पहिले के केवल कुछ थोड़े से मामलों और ७४ बाद के मामलों पर निर्णय होना अभी शेष है।

आसाम के सीमान्त के २९ मामले पूर्वी पाकिस्तान सरकार को निर्दिष्ट किये गये थे जिस ने यह उत्तर दिया था कि ये सूचनायें झूठी हैं। पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने १५ मामले आसाम सरकार को निर्दिष्ट किये थे जिस ने कि जांच करने के पश्चात् उन सूचनाओं को झूठा पाया। केवल एक मामला अब भी निलम्बित है।

(घ) बंगाल के सीमान्त पर १४७ में। आसाम के सीमान्त पर ५ में।

(ङ) (१) सन् १९४८ के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत उन सब सीमान्त की घटनाओं का निर्णय सीमान्तस्थ ज़िलों के ज़िला मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाना चाहिये जिनमें कि नीति का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो और उन के निर्णय करने में असफल होने पर डिवीज़न के आयुक्तों द्वारा। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क़दम उठाने पड़ते हैं।

(२) यह निश्चय किया गया है कि जिन ज़िलों में प्रायः सीमान्त के धावे होते हैं उन के ज़िला मजिस्ट्रेटों और ज़िला पुलिस अधीक्षकों को पड़ौसी देश के अपने समान पदाधिकारियों से मिलना चाहिये और इन धावों की रोक थाम और अपराधियों को पता लगाने तथा उन्हें दण्ड देने के उपाय निकालने चाहियें।

(३) यह भी निश्चय किया गया है कि आसाम के ग्वालपाड़ा-रंगपुर सीमान्त पर फिर से सीमा का निर्धारण किया जाये और दोनों ओर से सशस्त्र सेनाओं को हटा लिया जाये। यह व्यवस्था अभी क्रियान्वित नहीं की गई है।

(४) बंगाल की सीमा को चिन्हित किया जा रहा है ताकि विवाद के कारण न रहें।

(५) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सीमान्त के भारतीय पार्श्व की ओर चौकियों को सुदृढ़ बना दिया गया है।

## भूली में कोयला खान श्रमिकों के लिये घर

*४४२. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोयलाखान श्रमिकों को रहने के लिये मकान देने के निमित्त भूली कस्बे में कितने घर बनाये गये हैं ;

(ख) ये घर कब बनाये गये थे और प्रत्येक घर पर क्या लागत आई थी ;

(ग) उन में से कितनों में और कब से लोग बस गये हैं ; तथा

(घ) उन घरों में क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री बी० बी० गिरि)** : (क) १५६६ ।

(ख) ये घर सन् १९४७ में बनने आरम्भ हुये थे और सन् १९५० में पूरे हो गये थे । प्रत्येक घर पर औसतन लगभग ३,२०० रुपये लागत आई है ।

(ग) जुलाई, १९५० से भिन्न भिन्न तिथियों पर ४१४ में लोग बस गये हैं ।

(घ) प्रत्येक घर में दो रहने के कमरे (क्षेत्रफल २४० व० फु०), सामने एक बरांडा, पिछवाड़े में एक कमरा और एक खुला सहन है जिस के चारों ओर दीवार है । सीमेंट और कंकर के ढले हुये पत्थरों के फट्टे भी लगे हुये हैं । इसके अतिरिक्त बहुत सी सुविधायें जैसे कि पानी, शौचालय, गलियों में प्रकाश, विद्यालय, चिकित्सालय आदि की सामूहिक रूप से व्यवस्था की जा रही है ।

**रामचन्द्रपुर की बस्ती की भूमि**

*४४३. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये रामचन्द्रपुर की बस्ती (२४ परगना) की भूमि के अधिग्रहण के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिग्रहण की कार्यवाही को बाद में छोड़ दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; तथा

(घ) उस के बाद भूमि कैसे प्राप्त की गई थी और मूल्य कैसे तय किया गया था ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) माननीय सदस्य का ध्यान उन के प्रश्न संख्या ३०३ के भाग (ग) के उत्तर में ३० मई, १९५२ को दिये गये मेरे उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

**सिंदिरी फैक्टरी का उत्पादन**

*४४४. **डा० एम० एम० दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय सिंदरी कृषिसार कारखाने में अमोनियम सल्फेट का प्रतिदिन का औसत उत्पादन कितना होता है ;

(ख) उत्पाद के प्रति टन की लागत ;

(ग) उत्पाद को बेचने के लिये इस समय किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ;

(घ) इस समय फैक्टरी में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ङ) फैक्टरी का उत्पादन कब बढ़ सकेगा ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) १ मार्च से २६ मई, १९५२ तक की अवधि में प्रति दिन औसत ३५५ टन ।

(ख) बोरियों में लगभग ५०० रुपये प्रति टन किन्तु उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत व्यय क्रमशः घटता जायेगा ।

(ग) सन् १९५२ के सम्पूर्ण उत्पादन को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के हवाले कर दिया गया है जिस ने कि इसे राज्य सरकारों में उन की मांगों के अनुसार वितरण के लिये अपने केन्द्रीय उर्वरक संग्रह में सम्मिलित कर लिया है ।

(घ) ३,९१७ ।

(ड़) यह आशा है कि लगभग इस वर्ष के अन्त तक जब तक उत्पादन इस के पूर्ण सामर्थ्य १,००० टन प्रति दिन तक नहीं पहुंच जाता तब तक यह शनैः शनैः बढ़ता ही जायेगा ।

**पाकिस्तानी पटसन**

*४५२. **श्री बर्मन :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पाकिस्तान में पटसन बोर्ड द्वारा नियंत्रित पटसन का मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इस समय इस प्रकार का पटसन किस मूल्य पर भारत पहुंचता है ?

(ग) उसी किस्म के पटसन का भारत में क्या मूल्य है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) विभिन्न प्रकार के पटसन का मूल्य सफेद जट बौटम्स के लिये २३ रुपये (पा०) प्रति मन के आधार पर निश्चित किया गया है ।

(ख) तथा (ग) । २६ मई, १९५२ को पाकिस्तानी जट बौटम (खराब किस्म) का भाव ४५ रुपये प्रति मन था और उसी किस्म के भारतीय पटसन, अर्थात् आसाम का भाव २५ रुपये प्रति मन था, दोनों के ये भाव कलकत्ता पहुंचने पर थे ।

**भारतीय कपड़े के लिये विदेशी वायदे**

*४६९. **श्री धूसिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंगापुर, अदन और हांग कांग की मंडियों में भारतीय कपड़े के लिये काफी अंश में वायदे रद्द कर दिये गये हैं ;

(ख) इन मंडियों में (मोटी और बारीक) कितनी गांठों का वायदा किया गया था और इस समय की मांग क्या है ; और

(ग) क्या रद्द किये गये वायदों के कपड़े को कहीं अन्यत्र निर्यात करने का पुनः प्रबन्ध किया जा रहा है अथवा इसे घरेलू खपत के लिये दे दिया जायेगा ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) से (ग) । निर्यातकों द्वारा किये गये वायदों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते । इसलिये, सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

**मध्य प्रदेश में इस्पात उद्योग के लिये पर्यालोकन**

*४७०. **श्री किरोलिकर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश राज्य के दुर्ग ज़िले में इस्पात उद्योग के लिये कोई पर्यालोकन किया गया था ?

(ख) यदि हां तो इस पर्यालोकन पर वास्तविक लागत क्या आई थी ?

(ग) क्या सरकार इस कार्य को पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने और प्राथमिकता देने का विचार कर रही है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) परामर्शदाताओं को जो राशि दी गई थी उस में सारे देश में सभी सम्भव स्थानों का पर्यालोकन करने के लिये दिये

गये सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित थे और इसलिये मध्य प्रदेश में किये गये पर्यालोकन का लागत व्यय बांट कर बतलाना सम्भव नहीं है ।

(ग) सरकार ने १,२०० टन दैनिक सामर्थ्य का ढलवें लोहे का एक संयन्त्र तुरन्त लगाने का निश्चय किया है । योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना के द्वितीय भाग में एक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने की व्यवस्था करने का विचार है जो कि, जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, आवश्यक विदेशी सहायता के उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

**उच्च स्तरीय नहर योजना**

*४७१. **श्री टी० सुब्रह्मण्यन्** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "उच्च स्तरीय नहर" योजना को मद्रास राज्य की तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत संशोधित पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**बेकारी के आंकड़े**

*४७२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के (शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के) लोगों में बेकारी के ठीक ठीक आंकड़े इकट्ठे करने के लिये सरकार के पास कौन से साधन हैं ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)** : देश में बेकारी के ठीक ठीक आंकड़ों को जानने के लिये इस समय सरकार के पास कोई साधन नहीं हैं किन्तु नगरीय क्षेत्रों में बेकारी के प्रकार तथा सीमा के सम्बन्ध में कुछ जानकारी सेवायोजनालयों के आंकड़ों से उपलब्ध हो जाती है ।

**कुटीर उद्योग (समायोजन)**

*४७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सन् १९५१-५२ में किन कुटीर उद्योगों के समायोजन तथा विकास के लिये पग उठाये थे और उन का क्या परिणाम हुआ ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : कुटीर उद्योगों के विकास तथा समायोजन के प्रश्न को सन् १९५१-५२ में उद्योगों के आधार पर नहीं लिया गया था, किन्तु केवल सामान्य रूप से लिया गया था ।

**चन्द्रनगर**

*४७४. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को यह विदित है कि फ्रांसीसी संसद् ने अपने हाल के सत्र में चन्द्रनगर के भारत को हस्तान्तरित करने की सन्धि का अनुसमर्थन कर दिया है ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस अनुसमर्थन के पश्चात् चन्द्रनगर की क्या संवैधानिक स्थिति हो गई है या हो जायेगी ?

(ग) चन्द्रनगर की संवैधानिक स्थिति का अन्तिम रूप से निर्णय करने से पूर्व क्या चन्द्रनगर के लोगों से परामर्श लिया जायेगा ?

(घ) जब तक भारत सरकार कोई नई व्यवस्था नहीं करती उस समय तक चन्द्रनगर की ठीक ठीक संवैधानिक स्थिति क्या है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (घ)। चन्द्रनगर का प्रशासन इस समय एक भारतीय प्रशासक द्वारा, जो कि सीधा भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है, भारत के एक वास्तविक भाग के रूप में किया जाता है। ज्यों ही चन्द्रनगर के समर्पण की संधि के अनुसमर्थन पत्रों का विनिमय हो जायेगा —और इस के शीघ्र ही होने की आशा है—चन्द्रनगर विधि अनुसार भारत का भाग बन जायेगा और संविधान के अनुच्छेद १ के खण्ड (३) के उपखण्ड (ग) के अन्तर्गत आ जायेगा। विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम तब उस पर लागू होना बन्द हो जायेगा। किन्तु तब तक यह कोई राज्य या राज्य का भाग नहीं बनेगा जब तक कि संसद् संविधान के अनुच्छेद २ या ३ के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये कोई विधि नहीं बना देती। यह संविधान के भाग ९ के उपबन्धों से प्रशासित होगा और अनुच्छेद २४३ (२) के अन्तर्गत राष्ट्रपति इस के विधि निर्माता प्राधिकारी होंगे। वर्तमान विधियां चाहे वे पुरानी फ़्रांसीसी विधियां हों या विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेश हों राष्ट्रपति द्वारा निर्मित विनियमों से रद्द या रूपभेद किये जाने तक पूर्ववत् लागू होती रहेंगी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

**विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित कृषियोग्य नगरीय भूमि**

*४७५. **श्री विद्यालंकार :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी पंजाब से विस्थापित भारतीय व्यक्ति वहां कुल कितनी नगरीय कृषियोग्य भूमि छोड़ कर आये हैं और पंजाब (भारत) से निर्वासित मुस्लिम यहां इसी प्रकार की कुल कितनी भूमि छोड़ गये हैं;

(ख) निर्वासितों को अपने अपने देशों को वापिस लौट जाने पर इस प्रकार की कुल कितनी भूमि लौटा दी गई है ;

(ग) पाकिस्तान में जिन के पास ऐसी भूमि थी उन नगरीय विस्थापित व्यक्तियों को इस प्रकार की कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(घ) जो व्यक्ति भूमिधर नहीं थे उन विस्थापित व्यक्तियों के पास ऐसी कुल कितनी भूमि है और अविस्थापित व्यक्तियों के पास कितनी भूमि है ;

(ङ) जिन व्यक्तियों को इस प्रकार नगरीय कृषियोग्य भूमि आवंटित की गई है उन्होंने किस दर से भूमि का लगान या अन्य देय धन अगाऊ दिया है या उन से लेना शेष है ;

(च) क्या यह सत्य है कि विस्थापित व्यक्तियों में से नगरीय भूस्वामियों ने बार बार अभ्यावेदन किये हैं कि उन्हें इस प्रकार की भूमि के आवंटन में उन विस्थापित व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी चाहिये जो कि भूमिधर नहीं थे और न विस्थापित हैं ; और

(छ) क्या उन की यह प्रार्थना मान ली गई है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) से (छ)। जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**अमरीकन रूई**

*४७६. **श्री एस० जी० पारिख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ को ऋतु के लिये कितनी अमरिकन रूई खरीदी गई है।

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने यह सूचित किया था कि मिलों को सितम्बर और अक्टूबर--इन दो मासों में ही सारी रूई खरीदनी पड़ेगी ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रकार की नीति अपनाने से भारतीय मिलों को भारी हानि उठानी पड़ी है ?

(घ) क्या यह भी सत्य है कि १९५१-५२ के लिय भारतीय रूई की फसल का २६ लाख गांठों का अनुमान लगाया गया था और बाद में यह ३४ लाख गांठ निकली ।

(ङ) इस प्रकार के गलत आंकड़े बतलाने के लिये कौन उत्तरदायी है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) सितम्बर १९५१ से दिसम्बर १९५२ तक की अवधि के लिये ११.२५ लाख गांठों के आयात के लिये जिस में से प्रत्येक गांठ में ४०० पौण्ड अमरीकन रूई होगी, अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं श्रीमान् ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

**खोसला समिति का प्रतिवेदन**

*४७७. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग की टैक्निकल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी परियोजनाओं में से कौनसी परियोजना उन्होंने कार्यान्वित करने की सिफारिश की है; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी और यदि हां तो कब ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

**पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के कैम्प**

*४७८. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पश्चिमी बंगाल में लगभग सभी राज्य प्रशासित शरणार्थी कैम्पों तथा बस्तियों में जिन छोटे छोटे घरों की व्यवस्था की है क्या उन की अत्याधिक जीर्णावस्था तथा इन घरों के आगामी पहली वर्षा में ही बैठ जाने के खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसे उपाय करने आरम्भ किये हैं जिन के द्वारा कि इन विस्थापित व्यक्तियों के लिये अस्थायी रूप से कम से कम बरसात के समाप्त होने तक और शिविर के छोटे छोटे घरों की उचित रूप से मरम्मत और उन का पुनर्निर्माण होने तक किसी प्रकार के आश्रय स्थान की व्यवस्था की जा सके ?

(ग) क्या सरकार की पश्चिमी बंगाल में इन विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त कपड़े और दवाइयां देने के लिये नगदी के रूप में आपातिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने की भी प्रस्थापना है ?

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार से इन बातों के विषय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) सरकार को यह सूचना मिली है कि शिविरों में कुछ छोटे छोटे घर भग्नावस्था में हैं ।

(ख) इन घरों की पहले ही मरम्मत की जा रही है और बरसात के आरम्भ होने से पहले ही यह पूरी हो जायेगी ।

(ग) शिविरों में नगदी, कपड़ों, दवाइओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में आपातिक सहायता दी जाती है।

(घ) जी नहीं।

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिक्तियां**

*४७९. **डा० लंका सुन्दरम्:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय (विशेषतया प्रचार विभाग) में कितने ऐसे पद हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों से भरे जाने चाहिये थे, किन्तु जिन्हें अभी तक तदनुसार भरा नहीं गया है ?

(ख) मंत्रालय ने इन पदों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया था और उन में से कितनों को आयोग ने अस्वीकृत कर दिया था ?

(ग) उन में से कितनों को आयोग से अस्वीकृत हो जाने के बाद भी उन पदों पर काम करते रहने दिया गया था, और क्यों ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इस समय काम करने वाले ऐसे पदाधिकारियों की संख्या, जिन की नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता होती है किन्तु जिन्हें अभी तक आयोग ने स्वीकृति नहीं दी है इस प्रकार है :—

**१. विदेशी-प्रचार विभाग**

एक सूचना पदाधिकारी (हाल में सहायक सूचना पदाधिकारी के पद से उन्नति प्राप्त),

दो सहायक सूचना पदाधिकारी सीधे भर्ती किये हुए,

दो सहायक सूचना पदाधिकारी सूचना सहायकों के पद से उन्नति प्राप्त,

चार सूचना सहायक।

**२. मंत्रालय के अन्य विभाग**

एक अनुसचिव, और

एक अनुसन्धान पदाधिकारी।

(ख) तथा (ग)। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ स्थायी या अर्ध-स्थायी संविदा नहीं किया गया है जो कि आयोग को सन्तुष्ट करने में असफल रहा हो। ऊपर निर्दिष्ट अनुसचिव तथा अनुसन्धान पदाधिकारी को रखने के लिये आयोग सहमत नहीं हुआ है और उन की उन पदों पर नौकरी समाप्त की जा रही है। पहिले, तीन सूचना पदाधिकारियों को, जो कि विदेशों से लौटे थे, आयोग ने अर्ह नहीं घोषित किया था। उन्हें आयोग की सहमति से अस्थायी रूप से अपने पदों पर कार्य करते रहने दिया गया था। १९५१ में, आयोग से इंटरव्यू के पश्चात् इन में से दो को नौकरी से अलग कर दिया गया था।

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे गये पद**

*४८०. **डा० लंका सुन्दरम:** (क) **क्या सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (विशेषतया आकाशवाणी) में कितने ऐसे पद हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए उम्मीदवारों से भरे जाने चाहिये थे किन्तु जिन्हें अभी तक तदनुसार भरा नहीं गया है ?

(ख) मंत्रालय ने इन पदों पर कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया था और उन में से कितनों को आयोग ने अस्वीकृत कर दिया था ?

(ग) उन में से कितनों को आयोग से अस्वीकृत हो जाने के बाद भी उन पदों पर काम करते रहने दिया गया था, और क्यों ?

**सूचना तथा प्रसारण राज्य-मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग)। आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही एक

विवरण सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

**उत्तर प्रदेश की सामुदायिक परियोजनायें**

*४८१. **श्री आर० एस० लाल :** (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सामुदायिक परियोजनायें कहां कहां आरम्भ की जायेंगी ?

(ख) क्या दो और सामुदायिक परियोजनायें चालू करने के लिये उत्तर प्रदेश को कोई अग्रेतर आवंटन किया गया है और यदि हां, तो क्या उन के स्थानों को चुन लिया गया है ?

(ग) इन सामुदायिक परियोजनाओं को किसने और किस आधार पर चुना है ?

(घ) क्या इन परियोजनाओं के स्थान के चुनाव में सम्बन्धित क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा गया है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) निम्नलिखिदत छै परियोजनायें उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई हैं :

(१) ज़िला गोरखपुर (महाराज गंज—सदर तहसील ) ।

(२) ज़िला आज़मगढ़ (घोसी—मुहम्मदाबाद—गोहना तहसील) ।

(३) ज़िला फ़ैज़ाबाद (बीकापुर तहसील) ।

(४) मैनपुरी तहसील ।

(५) ज़िला झांसी (गड़ौथा—मौरनीपुर तहसील) ।

(६) अल्मोड़ा तहसील ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) । परियोजनाओं का चनाव केन्द्रीय समिति द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर के किया जाता है । प्रस्ताव करते समय राज्य सरकारों ने उस क्षेत्र की मुख्येतया अधिक कृषि उत्पादन के लिये उपयुक्तता राज्य सरकार द्वारा इस के व्यय में अपने अंश को पूरा करने के सामर्थ्य और किसी राज्य की अपनी विकास आवश्यकताओं और कार्यक्रमों का ध्यान रखा है । पिछड़े हुए क्षेत्रों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पश्चिमी बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनः संस्थापन आदि की आवश्यकताओं की ओर भी उचित ध्यान दिया गया है ।

**गोआ का प्रतिनिधिमंडल**

*४८२. **श्री बी० शिवा राव:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को गोआ के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि-मण्डल से गोआ के भारत से पुनः एकीकरण के विषय पर कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या भारत सरकार के गोआ स्थित महा-वाणिज्य दूत से पुर्तगाल के समुद्र पार के प्रदेशों के मंत्री कमांडर सारमेन्टो रोड्रीग्स की हाल की यात्रा के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या कमांडर रोड्रिग्स के निम्न लिखित वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है : "महाद्वीपीय तथा समद्र पार का पुर्तगाल सदा ही राज्य की नीति अनुसार राजनैतिक रूप से तथा धार्मिक रूप से और जहां तक सम्भव हो आर्थिक रूप से भी एक ही इकाई समझा जाता रहा है । आज हम पहिले से भी कहीं अधिक एक राष्ट्र हैं जिस के प्रान्त सारे विश्व में विद्यमान हैं जिन का प्रशासन ऐसी नीति से होता है जिस में किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं किया जाता" ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने उल्लिखित उद्धरण १७ मई, १९५२ के "हिन्दू" के एक लेख में देखा है । पुर्तगाल के समुद्र पार के प्रदेशों के मंत्री के कथित वक्तव्य में भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गये हैं भारत सरकार उन से बिल्कुल असहमत है । औपनिवेशिक आधिपत्य से, चाहे वह कितने ही दीर्घकाल से क्यों न हो, किसी उपनिवेश का प्रदेश आधिपत्य करने वाली शक्ति में विलीन हो कर एक इकाई नहीं बन जाता । गोआ भौगोलिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से भारत का एक अंग है और राजनैतिक रूप से भी अनिवार्यतः भारत संघ का ही एक भाग होना चाहिये । अन्य किसी व्यवस्था से अथवा गोआ के भारत संघ के प्रति शत्रुतापूर्ण या हानिकारक किसी भी प्रकार से प्रयोग किये जाने से केवल निरतन्र संघर्ष और मनमुटाव ही उत्पन्न होगा ।

**पेनिसिलीन (आयात)**

*४८३. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ में पेनिसिलीन की कुल कितनी खपत हुई; और

(ख) सन् १९५०-५१ में यह कितनी मात्रा में आयात की गई?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):** (क) ८० से ९० लाख तक मेगा एककों की खपत का अनुमान है ।

(ख) आयात की गई पेनिसिलीन का कुल मूल्य २,५४,३७,३४३ रुपये था ।

**दक्षिण की परियोजनाओं के सम्बन्ध में खोसला समिति का प्रतिवेदन**

*४८४. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खोसला समिति ने रामपद सागर, कृष्णा-पेन्नार परियोजना, पुलिचिन्तल परियोजना तथा दक्षिण की अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा):** (क) प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**कोसी बांध परियोजना**

*४८६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोसी बांध परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : उस परियोजना के जिस अंश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है उस पर ६६ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आने की आशा है ।

**हीराकुद बांध परियोजना**

*४८७. **डा० नटवर पांडे :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुद बांध परियोजना के नक्शे तथा प्राक्कलन अन्तिम रूप से तैयार हो गये हैं; और

(ख) नवीनतम प्राक्कलनों के अनुसार हीराकुद बांध परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) केन्द्रीय जल तथा

विद्युत आयोग द्वारा तैयार किये गये संशोधित परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) हीराकुद बांध परियोजना की मंत्रणा समिति द्वारा सुझाये गये कतिपय रूपभेदों के अधीन दोनों प्रक्रमों के लिये ८९.०९ करोड़ रुपये ।

**हीराकुद बांध परियोजना सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन**

*४८८. **डा० नटवर पांडे :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुद बांध परियोजना के प्राक्कलनों की फ़िर से जांच करने के लिये बनाई गई समिति ने, जिस के सदस्य (१) श्री एस० सी० मजूमदार, (२) श्री एल० एम० चम्पकर और (३) श्री टी० आई० मीरचन्दानी थे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री (**श्री नन्दा**) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उड़ीसा सरकार के साथ परामर्श कर के प्रतिवेदन की अभी परीक्षा की जा रही है ।

**हीराकुद बांध परियोजना में वित्तीय अनियमितायें**

*४८९. **डा० नटवर पांडे :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री प्रकाश चन्द्र पाधी के सभापतित्व में हीराकुद बांध परियोजना की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिये निर्मित समिति ने अपना प्रतिवेदन स्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार का इस प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) हीराकुद परियोजना के लिये नियुक्त विभागीय समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) भारत सरकार को समिति का अन्तिम प्रतिवेदन मिल जाने पर और उस की परीक्षा हो चुकने के पश्चात् इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

**सामुदायिक परियोजनाओं में जनता का सहयोग**

*४९०. **श्री बंसल :** (क) क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

(ख) सामुदायिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में जनता के सहयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पहिले ही प्रकाशित 'सामदायिक परियोजनायें--रूप रेखा का प्रारूप' के अतिरिक्त एक संक्षिप्त और सरल प्रकाशन निकालने के प्रश्न पर विचार करेगी जिस में कि सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय तथा प्रशासनात्मक सभी प्रकार की संगत जानकारी दी हुई है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) यह भी एक विषय था जिस पर कि हाल के सामुदायिक परियोजना सम्बन्धी विकास आयुक्तों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र की अवस्था के अनुसार वहां अलग अलग पग उठाये जायेंगे। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में एक परियोजना मंत्रणा समिति होगी जिस में कि मुख्य सम्बद्ध अधिकारियों के अतिरिक्त प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, कुछेक किसान प्रतिनिधि, ज़िला बोर्ड के प्रधान, संसद् तथा राज्य विधान सभाओं में स्थानीय प्रतिनिधि आदि सम्मिलित होंगे।

(ख) यह विचाराधीन है।

## त्रिपुरा में अधिगृहीत भूमि

*४९१. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी भूमि मूल किसानों से अधिगृहीत की गई है ?

(ख) क्या भारत सरकार ने आदिम जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के किसानों को बिना कोई प्रतिकर दिये भूमि से हटा देने के कोई अनुदेश दिये हैं ?

(ग) क्या स्वस्ति संघ नामक विस्थापित व्यक्तियों के एक समवाय को आदिमजाति के मल निवासियों की भूमि पर अधिकार करने के लिये सेना और पुलिस द्वारा सहायता दिये जाने के कोई अनुदेश दिये गये हैं ?

(घ) स्वस्ति संघ के द्वारा पुनर्वास के प्रयत्न की कार्यवाही से कितने मूल निवा विस्थापित हो गये हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) १६,००० एकड़ परती भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) स्वस्ति समिति को सरकारी खास फ़ालतू भूमि दी गई थी। अतः कोई भी व्यक्ति विस्थापित नहीं हुआ।

## मलाया में भारतीय

*४९२. **श्री गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मलाया में कितने भारत निवासी रहते हैं ?

(ख) उन्हें अपने नागरिकता के अधिकार देने के सम्बन्ध में ब्रिटेन किस नीति का अनुसरण कर रहा है ?

**प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) मलाया संधान के सरकारी अनुमानों के अनुसार १९५० के मध्य में वहां भारतीयों तथा पाकिस्तानियों की कुल जनसंख्या ५,६४,४५४ थी। भारतीयों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मलाया संधान करार, १९४८ के भाग १२ द्वारा नागरिकता विनियमित होती है। करार के इस भाग को संशोधित करने के लिये संधानीय विधान परिषद् ने ७ मई १९५२ को एक विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के साथ प्रकाशित उद्देश्य तथा कारणों के अनुसार नागरिकता विधि का ध्येय मलाया में बसी हुई विभिन्न जातियों को मिला कर एक समरूप तथा सुखी राष्ट्र बना देना है। उन की घोषित नीति यह है कि नागरिकता विधि स्वदेशोत्पन्न मलायावासियों के प्रति तथा आप्रवासी जातियों के प्रति जिन में कि भारतीय भी सम्मिलित

हैं न्यायपूर्ण हो। एक संक्षिप्त विवरण जिस में मलाया निवासियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्रख्यापित मुख्य मुख्य अर्हताएं, १९५२ के विधेयक द्वारा किये गये परिवर्तन और कितने भारतीयों ने नागरिकता प्राप्त की इस के आंकड़े दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]

**छावनी पर्षदों में निर्माण समितियां**

*४९३. **डा० सत्यवादी:** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या छावनी-पर्षदों को निर्माण समितियां बनाने का निदेश दिया गया था और यदि दिया गया था तो कब ?

(ख) निदेशों के अनुसार कितने स्थानों पर निर्माण समितियां बन चुकी हैं ?

(ग) क्या उन स्थानों के पर्षद् अधिकारियों से, जहां ऐसी कोई समितियां नहीं बनीं, इस के लिये कोई जवाब मांगा गया है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि):** (क) जी हां। छावनी पर्षदों को निर्माण समितियां बनाने के अनुदेश अक्टूबर १९४९ में जारी किये गये थे।

(ख) तथा (ग)। ३३ छावनी-पर्षदों में से १८ ने निर्माण समितियां बना ली हैं। शेष छावनी-पर्षद् इस प्रकार की समितियां बनाने के लिये पग उठा रहे हैं।

इन मामलों में विलम्ब के विभिन्न कारण हैं। निर्माण समितियां यदि कोई मज़दूर संघ हों तो उन के परामर्श से बनाई जाती हैं। कुछेक मज़दूर संघ पंजीबद्ध नहीं हुए हैं। कुछ मामलों में प्रतिद्वन्दी संघों में परस्पर मतभेद है। कुछ संघों ने आवश्यक जानकारी नहीं दी है। निर्माण समितियों की स्थापना में जो प्रगति होती है उस की सूचना समय समय पर सरकार को मिलती रहती है।

**भारत में फ्रांसीसी बस्तियां**

*४९४. **श्री नम्बियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच भारतीय प्रदेश को देखने के लिये भेजे गये निष्पक्ष प्रेक्षकों ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस के सम्बन्ध में भारत सरकार को फ्रांसीसी सरकार से क्या कोई संवाद मिला है और क्या इस प्रकार का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** जी हां, फ्रांस के वैदेशिक कार्यालय ने हमारे पैरिस स्थित दूतावास को प्रतिवेदन की एक प्रति दी थी। एक प्रति सदन पटल पर रख दी गई है। [**प्रति पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या ४. क. १ (१७)।**]

**मद्रास सरकार की परियोजनायें**

*४९५. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य सरकार ने कौन कौन सी बड़ी और छोटी नदी घाटी परियोजनायें आरम्भ की हैं जिन के लिये कि केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५१-५२ में कोई ऋण अथवा अंशदान दिया है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा):** भारत सरकार ने निचली भवानी और तुंगभद्रा परियोजनाओं के लिये ६ करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

**संसद् सदस्यों के लिये बंगले और फ़्लैट्स**

*४९६. **श्री ब्रह्म चौधरी:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संसद सदस्यों को किराये पर दिये हुए बंगलोंऔर फ्लैट्स का किराया घटाने का सरकार कोई प्रस्ताव कर रही है ?

(ख) कितने बंगले और फ्लैट्स वार्षिक किराये के आधार पर दिये जाते हैं ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) संसद् सदस्यों को दिये गये बंगलों तथा फ्लैट्स का भविष्य में उन से कितना किराया लिया जायेगा, इस सारे के सारे प्रश्न की पुनः पड़ताल की जा रही है।

(ख) केवल ७८ बंगले।

**बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायें**

*४९७. **श्री पाटस्कर** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विभिन्न बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम जो कि बन रही हैं ;

(ख) इन में से प्रत्येक परियोजना का मूल अनुमानित लागत व्यय;

(ग) इन में से प्रत्येक परियोजना का वर्त्तमान अनुमानित लागत व्यय; और

(घ) इन में ते प्रत्येक परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगने की आशा है।

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) निम्नलिखित बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायें बन रही हैं —

| राज्य | परियोजनायें |
|---|---|
| (१) पंजाब (भा०) | भाकड़ा-नंगल परियोजना |
| (२) पश्चिमी बंगाल और बिहार | दामोदर घाटी परियोजना प्रथम प्रक्रम |
| (३) उड़ीसा | हीराकुद—अवस्था १ |
| (४) मद्रास और हैदराबाद | तुंगभद्रा परियोजना |
| (५) पश्चिमी बंगाल | मयूराक्षी परियोजना |
| (६) मैसूर | भद्रा जलाशय परियोजना |
| (७) बम्बई | तापती घाटी विकास भाग १ :— ककरपर वीर और नहर परियोजना |

(ख) से (घ) तक। यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२**

*४९८. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ के उपबन्ध कब लागू होंगे ?

(ख) यदि अधिनियम की धारा (१) तथा (३) के अधीन अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है, तो सरकार का कब तिथि निश्चित करने का विचार है और इस प्रकार की तिथि निश्चित करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ९ जून १९५२।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**बोकारो तापज बिजली घर**

*४९९. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापज बिजली घर के निर्माण का काम विदेशी इंजीनियरों के एक सार्थ को सौंपा गया है ?

(ख) इस सार्थ के साथ इस कार्य के लिये संविदा की क्या शर्तें तय की गई हैं ?

(ग) क्या इस शिकायत की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि यह सार्थ किसी भारतीय इंजीनियर को अपना विश्वासपात्र नहीं बनाता और इस प्रकार उन्हें इस प्रकार के केन्द्र बनाने का ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित रखती है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) हां, श्रीमान् । इस बिजली घर के निर्माण का काम संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्ज कुलजिआं कार्पोरेशन को सौंपा गया है ।

(ख) तथा (ग) । यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**पटसन**

*५००. **श्री० टी० के० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस देश में सन् १९४७-४८ से ले कर १९५१-५२ तक प्रति वर्ष पटसन, मेस्ता और बिमली का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इन्हीं वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितने पटसन का पाकिस्तान से भारत संघ में आयात किया गया ;

(ग) इन्हीं वर्षों में प्रति वर्ष भारत की पटसन की मिलों में पटसन की कुल कितनी खपत हुई ;

(घ) इन्हीं वर्षों में भारतीय निर्यातकों ने अपने पटसन के संग्रह में से कुल कितने पटसन का निर्यात किया; और

(ङ) क्या सरकार के पास इन्हीं वर्षों में क्रमशः स्थानीय रूप से खरीदे गये तथा पाकिस्तान से आयात किये गये पटसन के संग्रह के आंकड़े हैं ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६**]

**प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण**

*५०१. **डा० सत्यवादी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) " प्राविधिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना " के अधीन प्रत्येक राज्य से अब तक कितने छात्र प्रशिक्षित बनाये गये हैं और उन में से कितने हरिजन थे; और

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में हरिजन उम्मीदवारों के प्रवेश के लिये क्या कोई प्रतिशतक निश्चित किया गया है ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) :** (क) एक विवरण जिस में प्रत्येक राज्य के उन प्रशिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है जिन्होंने कि श्रम मंत्रालय की प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन सफलता पूर्वक प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है, सदन पटल पर रखा जाता है । अप्रैल, १९५० से पूर्व प्रशिक्षित हरिजनों की संख्या के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु उस तिथि के बाद जो प्रशिक्षित हुए हैं उन के सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर

रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७-१ और २**]

(ख) अप्रैल, १९५० से प्राविधिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर स्थानों में से १२॥ प्रतिशत हरिजन उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं।

**हरिजन विस्थापित व्यक्ति**

*५०२. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आने वाले हरिजन विस्थापित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या; और

(ख) इन में से कितनों को मकान और जमीन दे कर फिर से बसाया गया ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) तथा (ख) । यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और पूरी सूचना यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

**निष्क्रान्त सम्पत्ति में से ऋणदाताओं को भुगतान**

*५०३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अभिरक्षक ने उन ऋणदाताओं को जिन्होंने कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान (केन्द्रीय) नियम, १९५० के नियम २२ के अन्तर्गत अपने दावे विधिवत पंजीबद्ध करवा लिये हैं, अभी तक कोई भुगतान किया है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम, १९५० की धारा १७ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभिरक्षक का इन न चुकाये हुए दावों का कैसे, कब और कहां तक भुगतान करने का विचार है ?

(ग) इस प्रकार के दावों की राज्य-वार कुल राशि कितनी है ?

(घ) इस में से कितनी प्राप्त हो गई है और कितनी प्राप्त नहीं हुई है ?

(ङ) इस प्रकार के दावों की कितनी राशि—

(१) सक्षम न्यायालयों की आज्ञप्तियों द्वारा;

(२) १४ अगस्त १९४७ से पूर्व लिखे गये तथा पंजीबद्ध किये गये अथवा इस तिथि के पश्चात् लिखे गये तथा पंजीवद्ध किये गये किन्तु अभिरक्षक द्वारा परिपुष्ट पंजीबद्ध विलेखों द्वारा; और

(३) स्वयं निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा १ मार्च, १९४७ से पूर्व लिखित स्वीकृति के द्वारा समर्थित हो चुकी है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) तथा (ख) । निष्क्रान्त व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त ऋणदाताओं के दावे निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम पदाधिकारियों द्वारा उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तय किये जायेंगे। निष्क्रान्त व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य प्रकार के दावे तय करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ग) से (ङ) तक। जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

**ब्रिटेन में भाण्डारों का क्रय**

७२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री एक ऐसा विवरण सदन पटल पर रखने

की कृपा करेंगे जिस में गत चार वर्षों में प्रति वर्ष भारत सरकार की ओर से ब्रिटेन में खरीदे गये भण्डारों के आंकड़े दिये हुए हों ?

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन के लिये किये गये वर्तमान प्रबन्ध में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) एक विवरण, जिस में सन् १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ में प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में दिये गये व्यादेशों का कुल मूल्य दिया हुआ है, सदन पटल पर रखा जाता है।

(ख) अभी कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

---

विवरण

**भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में दिये गये व्यादेशों का मूल्य**

| वर्ष | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| १९४८-१९४९ | १५·६८ |
| १९४९-१९५० | २४·४४ |
| १९५०-१९५१ | २१·०१ |
| १९५१-१९५२ | १२·३४ |

---

**सेवा योजनालय**

७३. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या श्रम मंत्री क्रमशः अमरावती और नागपुर के सेवा योजनालयों में १९५१-५२ में पंजीबद्ध किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितनों को नौकरी मिल गई ?

(ग) क्या सन् १९५१-५२ में इन सेवा योजनालयों के संचालन के सम्बन्ध में जनता से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो कितनी ?

**श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि)**: (क) निम्न स्थानों पर पंजीबद्ध किये गये प्रार्थियों की संख्या इस प्रकार थी—

| | |
|---|---|
| अमरावती | ७,७०७ |
| नागपुर | २०,५१८ |

(ख) उसी अवधि में काम में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या यह थी :

| | |
|---|---|
| अमरावती | १,७५९ |
| नागपुर | ३,३६४ |

(ग) जी हां। भारत सरकार की नागपुर के सेवा योजनालय के सम्बन्ध में तीन और अमरावती के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

**भूटान के साथ सम्बन्ध**

७५. **श्री ब्रह्मो-चौधरी**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत तथा भूटान के मध्य कोई कूटनीतिक अथवा वाणिज्यिक सम्बन्ध हैं और यदि हां, तो किस अभिकरण के द्वारा ?

(ख) क्या भारत सरकार भूटान सरकार को कोई वार्षिक सहायता देती है और यदि हां, तो क्यों और कितनी राशि देती ?

(ग) भूटान में कितने भारतीय रहते हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) सिक्किम में रहने वाला राजनैतिक पदाधिकारी भारत सरकार के भूटान के साथ सम्बन्धों के लिये उत्तरदायी है।

(ख) विगत सन्धियों में पहिले जो वचन दिये गये थे उन के अनुसार भूटान को ५ लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है।

(ग) सरकार को किसी भारतीय प्रजाजन के स्थायी रूप से भूटान में रहने का ज्ञान नहीं है।

**सरकारी कर्मचारियों के लिये आवासस्थान**

**७६. श्री मोहनलाल सक्सेना:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवासस्थानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो ;

(क) विभिन्न प्रकार के आवासस्थानों के अधिकारी नौकरों की कुल संख्या ;

(ख) ऐसे नौकरों की संख्या जिन्हें सरकारी क्वार्टरों में स्थान दिया गया है और ऐसों की संख्या जिन्हें अधिगृहीत घरों में स्थान दिया गया है;

(ग) उन नौकरों की कुल संख्या जो कि इस समय प्रतीक्षकों की सूची में हैं और उन नौकरों की संख्या जो कि तीन वर्ष और स से अधिक समय से प्रतीक्षकों की सूची में हैं; और

(घ) उपयुक्त आवासस्थानों के अभाव के कारण सरकार को इन नौकरों को किराये के रूप में कुल कितनी धन राशि देनी पड़ती है ?

**निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** एक विवरण, जिस में भाग (क) से (ग) तक सम्बन्धित निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय द्वारा नियंत्रित आवासस्थानों के अधिकारी सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में पूछी गई जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

भाग (घ) के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र सदन पटल पर रख दी जायेगी।

**सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थान**

**७७. श्री मोहन लाल सक्सेना:** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रतीक्षकों की सूची में विद्यमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निवासस्थान देने के लिये सरकार की यदि कोई योजना है, तो वह क्या है ?

(ख) दिल्ली में कुल कितने सरकारी क्वार्टर हैं और क्या सरकार ने दिल्ली के वर्तमान क्वार्टरों पर दूसरी मंजिल बनाने की शक्यता पर विचार किया है ?

**निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) यदि धन उपलब्ध हुआ तो प्रतिवर्ष पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की तब तक मंजूरी देते रहने का विचार है जब तक कि निवास स्थानों की अवस्था सुधर नहीं जाती। तदनुसार सन् १९५१-५२ में कनिष्ठ पदाधिकारियों के लिये १०० फ्लैट्स, क्लर्कों के लिये ५०० क्वार्टरों और श्रेणी ४ तथा निर्माणभरित (वर्क-चार्ज्ड) कर्मचारियों के लिये ५०० क्वार्टरों की मंजूरी दी गई थी और इतने की ही सन् १९५२-५३ के लिये मंजूरी दी गई है।

(ख) दिल्ली में उपलब्ध सरकारी क्वार्टरों की कुल संख्या १४,०३१ है जिस में से १,२२४ उन पदाधिकारियों के लिये हैं जिन का वेतन ५०० रुपये या इस से अधिक है, ८,२८७ प्रति मास ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले पदाधिकारियों के लिये और ४,५२० श्रेणी ४ तथा निर्माणभरित कर्मचारियों के लिये हैं।

दिल्ली के वर्तमान क्वार्टरों पर दूसरी मंजिल बनवाने की वांछनीयता पर विचार किया गया था किन्तु इसे क्रियात्मक नहीं पाया गया।

**मलाया में मृत्यु-दण्ड प्राप्त भारतीय**

**७८. डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस पत्री वर्ष के अन्दर मलाया में कुछ भारतीयों को वहां के साम्यवादी उपद्रवकारियों के साथ मेल मिलाप रखने के आरोप में मृत्यु-दण्ड दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीयों को मृत्यु-दण्ड दिया गया है ?

**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां ।

(ख) दो ।

**भोपाल में बसाये गये काश्मीरी**

**७९. डा० राम सुभग सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यौल कैम्प के कुछ काश्मीरी परिवारों को भोपाल में बसाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां कितने परिवारों को बसाया गया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन):** (क) तथा (ख) । जी हां । २४१ परिवारों को फिर से बसाने के लिये भोपाल भेज दिया गया है ।

**पाकिस्तान के साथ व्यापार**

**८०. डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९, १९५० तथा १९५१ में भारत से पाकिस्तान को तथा पाकिस्तान से भारत को किस प्रकार की और कितनी वस्तुओं का निर्यात किया गया और प्रत्येक दशा में वस्तुओं का मूल्य क्या था ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** वित्तीय वर्ष १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लिये विस्तृत आंकड़े "मार्च १९५१ को समाप्त होने वाले बारह मासों के लिये भारत पाकिस्तान व्यापार के आंकड़े" नामक में दिये हुए हैं जो कि पहिले ही प्रकाशित हो चुका है । एक विवरण, जिस में इन वर्षों में होने वाले व्यापार की मुख्य मुख्य बातें और १ अप्रैल से ३१ दिसम्बर १९५१ तक के आंकड़े दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९**]

**उत्सर्जन अधिदेश**

**८१. डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री उत्सर्जन अधिदेश की सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में श्रेणीवार संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

**निर्माण-गृह, व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** एक विवरण, जिस में सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय की उत्सर्जन शाखा के कर्मचारियों (श्रेणी १, २, ३ और ४) की १ जनवरी १९४९, ३१ दिसम्बर १९४९, ३१ दिसम्बर १९५० तथा ३१ दिसम्बर १९५१ की संख्या दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ; इस से यह प्रतीत होता है कि संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई है ।

विवरण

| पदों का वर्गीकरण | १-१-४९ की संख्या | ३१-१२-४९ की संख्या |
|---|---|---|
| श्रेणी १ | ९८ | ८३ |
| श्रेणी २ | ११९ | ८५ |
| श्रेणी ३ | २,३१० | २,०२७ |
| श्रेणी ४ | ३,८३४ | ३,३२४ |
| कुल योग | ६,३६१ | ५,५१९ |

| ३१-१२-५० की संख्या | ३१-१२-५१ की संख्या | १-५-५२ की संख्या |
|---|---|---|
| ५५ | ३३ | २५ |
| ४३ | २६ | १८ |
| १,२७२ | ६३१ | ५४० |
| १,३०७ | ६९७ | ५५० |
| २,६७७ | १,३८७ | १,१३३ |

**सरकार द्वारा खादी का क्रय**

८२. **डा० पी० एस० देशमुख :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ में खादी के क्रय पर कितनी राशि व्यय की थी ?

(ख) भारत सरकार ने उसी अवधि में कपड़े के क्रय पर कुल कितनी राशि व्यय की थी ?

(ग) इस बात का ध्यान रखने के लिये कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खादी का अधिकतम प्रयोग किया जाये क्या प्रयत्न किये गये थे ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५०-५१ ९६,२७७ रुपये

१९५१-५२ ६७,२८७ रुपये

(ख) सरकार द्वारा सन् १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में खरीदे गये सूती वस्त्रों का मूल्य क्रमशः ३ करोड़ ४२ लाख रुपये तथा ६ करोड़ ९७ लाख रुपये है ।

(ग) सरकार ने जहां तक सम्भव हो अपने कपड़े की आवश्यकताओं का एक तिहाई भाग हाथकरघे के कपड़े को जिस में कि खादी भी सम्मिलित है, खरीद कर पूरा करने का निश्चय किया है ।

**अनुज्ञापत्र**

८३. **डा० पी० एस० देशमुख :** क्या **पुनर्वास** मंत्री पाकिस्तान में भारत के प्रधान प्रदेष्टा द्वारा भारत आने वाले अहिन्दुओं को दिये गये अनुज्ञापत्रों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उन में से कितने अनुज्ञापत्र स्थायी रूप से बस जाने के लिये थे ?

(ग) भारत से पाकिस्तान जाने वाले अमुस्लिमों को कितने अनुज्ञापत्र दिये गये थे ?

(घ) उन में से यदि कोई अनज्ञापत्र स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसने के लिये थे तो उनकी संख्या क्या थी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :** (क) अनुज्ञापत्र प्रणाली लागू होने की तिथि १९ जलाई, १९४८ से ३० अप्रैल, १९५२ तक कराची स्थित भारत के उच्चायुक्त ने तथा लाहौर स्थित भारत के उप-उच्चायुक्त ने अहिन्दुओं को १,८७,१४४ व्यक्तियों के लिये १,२७,२८३ अनुज्ञापत्र दिये थे ।

(ख) २९,००० से अधिक व्यक्तियों के लिये १२,४३९ अनुज्ञापत्र ।

(ग) तथा (घ) । यह जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिये अनुज्ञापत्र भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा दिये जाते हैं, भारत सरकार अथवा इस के पदाधिकारियों द्वारा नहीं ।

प्रव्रजक

८४ **श्री झुनझुनवाला** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के बाद से ३० अप्रैल, १९५२ तक पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से कितने विस्थापित व्यक्ति भारत आये;

(ख) उन में कितने हिन्दू और कितने मुसलमान थे ;

(ग) कितने व्यक्ति भारत से पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान गये ; और

(घ) कितने व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान गये और कितने पश्चिमी पाकिस्तान गये ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७४.८० लाख है। उस के बाद से जिन विस्थापित व्यक्तियों ने भारत में प्रव्रजन किया है उन की संख्या ज्ञात नहीं है।

(ख) ७४.८० लाख विस्थापित व्यक्तियों की जनसंख्या में बहुत थोड़े मुसलमान हैं जिन्होंने कि भारत संघ में प्रव्रजन किया है।

(ग) तथा (घ)। कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

**विन्ध्य प्रदेश की विकास योजनायें**

८५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **योजना तथा नदी घाटी परियोजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के दीर्घ कालीन तथा स्वल्प कालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत विन्ध्य प्रदेश के राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिये उपबन्धित अनुमानित धन राशियां राज्य सरकार को सौंप दी जायेंगी ;

(ख) क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई समिति बनाई गई है; और

(ग) यह कार्य किस समय आरम्भ होने की आशा है ?

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक कोई समिति नहीं बनाई गई है।

(ग) योजना को क्रियान्वित करने का काम १ अप्रैल, १९५१ से आरम्भ हो चुका है और यह पांच वर्ष में समाप्त हो जाना चाहिये।

**मोटर गाड़ियां और साइकिलें (आयात)**

८६. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के असैनिक विभागों तथा भारत के विभिन्न राज्यों की सरकारों के प्रयोग के लिये सन् १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में आयात की गई मोटर कारों, ट्रकों, बसों, जीपों, मोटर साइकिलों तथा साइकिलों की संख्या तथा मूल्य ;

(ख) उपरोक्त अवधि में संघ सरकारों तथा राज्य सरकारों के लेखे में क्रमशः स्टर्लिंग तथा डालर क्षेत्रों से आयात की गई उपरोक्त गाड़ियों की संख्या तथा मूल्य; और

(ग) इन सभी प्रकार की गाड़ियों की संख्या तथा मूल्य जिन का कि १९५२-५३

में सरकारी लेखे में भारत में आयात किये जाने का विचार है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) यह ज्ञात नहीं है क्योंकि सरकार के सम्भरण तथा उत्सर्जन संघठन को अभी तक सन् १९५२-५३ के लिये कोई आवश्यक वस्तुसूचियां नहीं प्राप्त हुई हैं ।

**दियासलाइयों का उत्पादन**

८७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९४५ के उत्तर में दिये गये आश्वासनों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को बतलाने वाले अनुपूरक विवरण संख्या २ को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९४८-४९ तथा १९४९-५० के दियासलाई उत्पादन की तीन श्रेणियों का सम्बन्ध कुटीर उद्योग के उत्पादन से है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन की कितनी मात्रा का उत्पादन कुटीरोद्योग के आधार पर होता है; और

(ग) क्या इस उत्पादन में से कुछ निर्यात भी किया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) श्रेणी (३) में बतलाये गये उत्पादन का निश्चय ही कुटीरोद्योग से सम्बन्ध है, किन्तु श्रेणी (२) के दियासलाई के कारखानों के सम्बन्ध में कुटी दियासलाई कारखानों तथा छोटे पैमाने के कारखानों में भेद करना कठिन है ।

(ग) यह जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

---

GIPD—HS—430 PSD—29-5-53—000

बुधवार,
४ जून, १९५२

सत्यमेव जयते

# संसदीय वाद विवाद

1st

## लोक सभा

पहला सत्र

## शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

# संसदीय वाद विवाद

## (भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

## शासकीय वृत्तान्त



बुधवार, ४ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

## प्रश्न और उत्तर

**(देखिए भाग १)**

९-१५ म० पू०

## सदन पटल पर रखे गये पत्र

**(१) दामोदर घाटी निगम की वार्षिक रिपोर्ट ; तथा (२) दामोदर घाटी निगम के आयव्ययक प्राक्कलन**

**योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५(५) तथा ४४ (३) के अन्तर्गत इन पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं :—

(१) दामोदर घाटी निगम की वर्ष १९५०–५१ की वार्षिक रिपोर्ट, भाग १.[**पुस्तकालय में रखी है । देखिये संख्या ४ एम० ४ (८)] तथा**

(२) दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९५२–५३ के आयव्ययक प्राक्कलन । [**पुस्तकालय में रखे हैं । देखिये संख्या ४ एम० ४ (९)** ]

## सामान्य आयव्ययक—साधारण चर्चा—समाप्त

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम आयव्ययक पर साधारण चर्चा जारी करेंगे ।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : हम से सदैव यह कहा जाता है कि विरोधी दल के सदस्यों को कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहियें । जहां तक आयव्ययक प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा । मेरा पहला सुझाव यह है कि प्रत्येक आयव्ययक में कुल आय तथा करों से होने वाली आय का अनुपात स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिये । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात भी दिया जाये ताकि उससे यह समझ में आ सके कि अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि कुल आय, करों से होने वाली आय तथा व्यय का प्रति व्यक्ति अनुपात भी दिया जाये । चौथा सुझाव यह है कि कुल

[श्री एस० एस० मोरे]

राष्ट्रीय आय तथा यदि संभव हो तो, प्रति व्यक्ति आय भी दी जाये जिससे कि हम वास्तविक स्थिति को समझ सकें। पांचवां सुझाव मुझे यह देना है कि भिन्न-भिन्न विभागों या मंत्रालयों के व्यय का कुल व्यय से जो अनुपात हो वह भी बतलाया जाये। छटा और अन्तिम सुझाव यह है कि व्यय के भिन्न-भिन्न शीर्षों के अन्तगत व्यय की मंत्रालयवार प्रतिशतता भी दी जाये। यदि ये सब सुझाव—तथा इसके आधार पर कुछ अन्य—मान लिये जायें तो हम आयव्ययक की टीका टिप्पणी अधिक सुगमतापूर्ण और अधिक व्यापक ढंग से कर सकेंगे।

म आयव्ययक को समाजवाद की कसौटी पर कस कर नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने अपने लम्बे संघर्ष काल में समाजवाद के सिद्धान्त को कभी भी नहीं माना है। कांग्रेस तो हमेशा उसी चीज़ म विश्वास करती आई है जिस का प्रतिपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि मैं यह आशा करूं तो अनुचित नहीं होगा कि कांग्रेस सरकार को आयव्ययक बनाने में गांधी जी के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिये। कांग्रेस को आयव्ययक बनाते समय उन लोगों का ध्यान रखना चाहिये जिनके लिए वह यह कहती है कि वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी के शब्दों में कांग्रेस ने देश के करोड़ों किसानों का प्रतिनिधित्व करन का प्रयत्न किया था। अब हमें यह देखना है कि आयव्ययक में देश के किसानों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया ह या नहीं। इसके अतिरिक्त हम अपने उच्च पदाधिकारियों पर बहुत व्यय करते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में हम यह आरोप उन पर लगाया करते थे, किन्तु अब, जब कि शासन हमारे हाथ में है, हमें यह देखना है कि हमारे प्रशासन पर व्यय उतना ही अधिक है या कुछ कम।

अब मैं भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दूंगा। पहले मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को लेता हूं। इस मंत्रालय में सबसे अधिक वेतन, ४८,००० रुपये प्रति वर्ष सचिव को दिया जाता है। पदाधिकारियों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति औसत आय १२,९७२ रुपये प्रति वर्ष है तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति औसत आय १,६०१ रुपये प्रति वर्ष आती है। संचरण मंत्रालय में भी सब से अधिक वेतन ४८,००० रुपये सचिव को मिलता है। सब से कम वेतन चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों को, १,२८३ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मिलता है। र ा मंत्रालय में उच्चतर श्रेणी के पदाधिकारियों की प्रति व्यक्ति औसत आय १३,९९३ रुपये है। मैं अधिक कुछ न कह कर यही कहूंगा कि कांग्रेस सरकार को चाहिये कि वर्षों से वह जो बात कह रही है अब उसे कर के दिखलाये। केवल एक दो क्लर्कों को निकाल देने मात्र से मितव्ययता नहीं होगी। सरकार को सच्ची भावना से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे प्रशासन के वर्तमान व्यय को घटाया जा सके।

हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर कुल करों का ७५ प्रतिशत कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर कुल करों के लगभग २५ प्रतिशत हैं। अप्रत्यक्ष करों के कारण अमीरों और गरीबों के बीच भेद और भी अधिक बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यह था कि वह अप्रत्यक्ष करों को कम करते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके विपरीत, गत दो वर्षों के आंकड़ों

से पता चलता है कि उन्होंने निराक्रम्य शुल्कों में और वृद्धि की है जिस से जन-साधारण पर बड़ा बोझ पड़ा है।

सरकार को सम्पदा शुल्क लगाने की तिथि घोषित कर देनी चाहिये। अब यह शुल्क शीघ्रातिशीघ्र लगा दिया जाना चाहिये। पूंजीपतियों के लाभार्थ यह बहुत दिनों से खटाई म पड़ा है। दूसरी बात खाद्य को सस्ते दामों पर बेचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में है। उक्त सहायता के बन्द किये जाने के फलस्वरूप किसानों, कर्मकरों और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है।

अब मैं भाषावार प्रान्तों के निर्माण के विषय में कुछ कहूंगा। सन् १९२० में कांग्रेस ने अपने विधान में संशोधन करके भाषावार प्रान्तों के सिद्धांत को मान लिया था। सन् १९२४ में महात्मा गांधी ने बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए एक छै सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था जिस में से एक भाषावार प्रान्तों के बनाये जाने के विषय में था। सन् १९२७ में कांग्रेस ने मद्रास में यह निश्चय किया था कि भाषावार प्रांतों को बनाया जाये। अब कांग्रेस ने अपना वह वचन पूरा नहीं किया है। बहुत से व्यक्तियों ने संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण की मांग की है। मैं ऐसी सब मांगों का समर्थन करता हूं।

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : वाद विवाद में कुछ माननीय सदस्यों ने आयव्ययक के सुझावों की आधारभूत धारणाओं को गलत बतलाया है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कीमतों के रुख तथा उत्पादन के रुख की ओर निर्देश किया है। इन धारणाओं की आलोचना विशेष रूप से श्री गोपालन ने की है। श्री गोपालन ने कुछ आंकड़े देकर यह कहा है कि यह धारणा कि उत्पादन की मात्रा कोई खास असंतोषजनक नहीं रही है, गलत है। श्री गोपालन ने कहा कि वित्त मंत्री का यह कहना था कि कीमतों की वतमान मंदी तो लोगों के लिए एक अच्छी बात है। तो हम निस्संदेह यह मानते हैं कि आजकल कीमतें बहुत ऊंची हैं और यदि उन के नीचे गिरने की कोई संभावना होती है तो यह अच्छा ही था। परन्तु यह तो नहीं कहा गया है कि कीमतों में कमी होने के फलस्वरूप उत्पादन में भी कमी आ गई है।

श्री गोपालन ने कहा कि कोयला, सीमेंट, ऊन की बनी चीजों, चीनी, सिगरेट, कागज, चमड़ा, कपड़ा, गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, कांच की चादरों आदि का उत्पादन जनवरी १९५२ में जनवरी १९५१ की अपेक्षा कम रहा है। उन्होंने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आंकड़े दिये थे। अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा जिनसे यह मालूम होगा कि स्थिति वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी कि मेरे माननीय मित्र ने बतलाई है।

जनवरी से मार्च तक का कोयले का उत्पादन इस वर्ष औसतन ३१ लाख टन प्रति मास रहा है जब कि जनवरी-मार्च १९५१ में यह २८ लाख ५० हजार टन था।

सन् १९५१ में चीनी के उत्पादन आंकड़े पहले चार मासों में २,७८,००० टन, २,५९,००० टन, १,८६,०००, टन तथा ६०,००० टन थे जबकि सन् १९५२ में ये उन से अधिक, अर्थात, ३,०२,००० टन २,८१,००० टन, २,४२,००० टन तथा १,६२,००० टन, रहे हैं।

सन् १९५१ में सीमेन्ट का उत्पादन पहले चार मासों में २,४०,००० टन, २,२६,००० टन, २,५९,००० टन तथा

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

२,५१,००० टन था, जब कि इस वर्ष यह क्रमशः २,८५,००० टन, २,४७,००० टन, २,८८,००० टन तथा २,९५,००० टन रहा है ।

कागज के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े ये हैं :--

| | | टन |
|---|---|---|
| जनवरी, १९५१ | – | ९,७०० |
| जनवरी, १९५२ | – | १२,००० |
| फरवरी, १९५१ | – | ९,००० |
| फरवरी, १९५२ | – | ११,००० |
| मार्च, १९५१ | – | ११,००० |
| मार्च, १९५२ | – | ११,६०० |
| अप्रैल, १९५१ | – | १०,५०० |
| अप्रैल, १९५२ | – | ११,३०० |

अब मैं कपड़े पर आता हूं । विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद भी सूती कपड़े का उत्पादन सन १९५२ में इस भांति रहा है:-

जब कि जनवरी १९५१ में ३३ करोड़ ८३ लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था, जनवरी १९५२ में कपड़े का उत्पादन बढ़ कर ३४ करोड़ ४६ लाख गज हो गया । फ़रवरी १९५१ में उत्पादन ३० करोड़ ८३ लाख गज था और फरवरी १९५२ में ३४ करोड़ ६ लाख गज़ । इसी प्रकार मार्च, १९५१ और अप्रैल १९५१ में कपड़े का उत्पादन क्रमशः ३२ करोड़ ५७ लाख गज और ३३ करोड़ ७६ लाख गज़ था जब कि मार्च १९५२ और अप्रैल १९५२ में यह क्रमशः ३४ करोड़ ५७ लाख गज़ और ३६ करोड़ ८५ लाख गज़ रहा है । इसी प्रकार सिगरेट, गंधक का तेजाब, काष्टिक सोडा, सोडा ऐश आदि के बारे में मुझे यह कहना है : सिगरेटों का उत्पादन जनवरी, फरवरी और मार्च में तो अधिक हुआ है; अप्रैल में थोड़ी कमी हुई है । गंधक के तेजाब का उत्पादन जनवरी १९५२ में तो जनवरी १९५१ की अपेक्षा अधिक हुआ है, किन्तु फरवरी, मार्च और अप्रैल में, गंधक की कमी होने के कारण थोड़ा कम हुआ है । काष्टिक सोडा के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है । लेकिन सोडा ऐश के उत्पादन में कुछ कमी हुई है । तो एक दो उद्योगों को छोड़ कर शेष सब उद्योगों की सामान्य स्थिति ऐसी है जिस से मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री द्वारा बतलाई गई बातों की पुष्टि होती है । मेरी समझ में नहीं आता कि श्री गोपालन ने यह कैसे समझ लिया कि स्थिति इतनी खराब है ।

जूट के उत्पादन में कुछ कमी जरूर हुई है जिस का कारण संसार की बहुत सी परिस्थितियां हैं । परन्तु इस की स्थिति भी अब सुधरती जा रही है ।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जो मेरे मित्र श्री चाको तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई गई थी । मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि ट्रावनकोर-कोचीन से जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं उनका हमारे निर्यात व्यापार में मुख्य स्थान है । त्रावनकोर से किये जाने वाले निर्यात के बारे में तीन मुख्य प्रश्न उठते हैं--नारियल की जटा तथा जटा से बनने वाली वस्तुओं का प्रश्न, काली मिर्च का प्रश्न तथा खोपरा की कीमतों का प्रश्न । हमारा आयात एक बड़ी सीमा तक निर्यात पर निर्भर करता है और हमारे आर्थिक कार्यक्रम में आयात भी एक मुख्य स्थान रखता है, क्योंकि हमें अपने लिए खाद्य तथा बड़ी मशीनें आदि मंगानी पड़ती हैं । परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो सरकार

के काबू के बाहर हैं । त्रावनकोर-कोचीन से जो वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं उनकी मांग अस्थिर है उदाहरण के लिए, नारियल से बनी वस्तुएं और काली मिर्च । काली मिर्च की कीमतें वैसे तो अब भी काफी ऊंची हैं और सन् १९३९ की कीमतों से उनका कोई मुकाबला नहीं है; किन्तु मांग की अस्थिरता के बारे में सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है । परन्तु फिर भी सरकार स्थिति की गंभीरता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है । नारियल की जटा की निकासी स्पष्टतया कम हो गई है और उसकी किस्म के बारे में भी कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इन सब बातों में हमारी दिलचस्पी कुछ कम नहीं है । श्री जाटव-वीर ने चमड़ा तथा खालों के बारे में कुछ कहा था । उन्होंने शिकायत की थी कि क्योंकि हम इन चीजों का निर्यात कर रहे हैं इसलिये जूता बनाने वालों को चमड़ा नहीं मिलता है यह बात नहीं है । हम कच्चे चमड़े का निर्यात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने चमड़ा उद्योग के लिए बाहर से कच्चा चमड़ा मंगवा रहे हैं ।

बंगाल के एक माननीय सदस्य ने चाय उद्योग की चर्चा की थी तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे । यह तो ठीक है कि भारत की चाय की बाहर निकासी कम हो गई है, परन्तु फिर भी स्थिति उतनी बुरी नहीं रही है जितनी कि दो तीन सप्ताह पहले थी । ब्रिटेन द्वारा चाय पर से आंशिक नियन्त्रण उठा लिए जाने की सम्भावना है । इस वक्त भी उसने राशन उठा लिया है । अतएव हमारा ख्याल है कि चाय की स्थिति भी सुधर जायगी ।

इसके अतिरिक्त जिन मामलों की चर्चा की है गई वह हैं आयात नियंत्रण, विदेशी विनियोग आदि । इनके बारे में मैं उस समय कुछ कहूंगा जब मेरे मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। अब मैं केवल छोटे उद्योगों के बारे में कुछ कहूंगा । खड्डी उद्योग, कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति उपेक्षा दिखलाने की शिकायतें की गई हैं । खड्डी उद्योग का प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार उस पर विचार कर रही है । छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रश्न पर योजना मंत्री विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय किया जायगा । १६ जून को यदि इस विषय में कुछ अग्रेतर बातें उठाई जायेंगी तो मुझे उनका उत्तर देने में खुशी होगी । बस, मुझे इतना ही कहना है ।

**श्री एच० एन० मुखर्जी** ( कलकत्ता उत्तर-पूर्व ) : मैं माननीय वित्त मंत्री को इस आयव्ययक के लिए बधाई नहीं दे सकता क्योंकि मेरे विचार में प्रस्तुत आयव्ययक जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है । आयव्ययक में रक्षा पर जितने व्यय की व्यवस्था की गई ह वह देश की आवश्यकताओं के समनुकूल नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि देश का रक्षा बल कम हो । मैं तो यह कहता हूं कि देश की रक्षा सेवाओं में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति हों जो हर घटना का मुकाबला कर सकें। परन्तु कुल व्यय का लगभग ५० प्रतिशत रक्षा की मद पर दिखलाना कोई अच्छी नीति नहीं है । रक्षा के लिए जो दो सौ से कुछ अधिक करोड़ रुपये रखे गये हैं उन में से कोई ७७ करोड़ रुपये वेतनों पर ही खर्च होंगे और उसमें से भी ११ करोड़ रुपये पदाधिकारियों के वेतनों में जायेंगे । केवल सैनिक कार्यों पर जितना व्यय होता है उसमें हम काफी कमी कर सकते

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

हैं और उस रुपये को राष्ट्र निर्माण के अन्य कार्यों पर व्यय कर सकते हैं और जिस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। रक्षा पर व्यय करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि जिस समय देश को कोई खतरा होगा उस समय केवल सेना पर निर्भर रहने से ही काम नहीं चलेगा, उस समय तो जनसाधारण में अपने देश की रक्षा करने की भावना मुख्य चीज होगी। केवल वही आक्रमण से छुटकारा दिला सकती है। अगर आपको आक्रमण का मुकाबला करना है तो सर्व-प्रथम जनता का सहयोग प्राप्त कीजिये। यदि आपकी जनता यह समझती रहेगी कि सरकार उसके प्रति उदासीन है तो मुझे विश्वास है आप अपने देश को किसी विदेशी अथवा अन्य प्रकार के आक्रमण से नहीं बचा सकते। हम चाहते हैं कि हमारे रक्षा कर्मचारी स्वयं को नई दशाओं के अनुकूल ढालें। केवल उसी दशा में हम अपने देश का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर सकेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अब मैं खाद्य के प्रश्न को लेता हूं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे लोग खाद्य के लिये मर रहे हैं। लेकिन आप इस गुत्थी को सुलझाने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं? योजना आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक करोड़ एकड़ भूमि बंजर पड़ी है। तो आप को चाहिये कि इस भूमि को कृषि योग्य बनायें। हम यह भी भूल जाते हैं कि कृषि उपज में ४२ प्रतिशत कमी हो गई है। बात केवल इतनी ही नहीं है; यदि आप वर्ष १९१४-१५ में चावल की औसत उपज देखें तो आपको ज्ञात होगा कि यह ९२८ पौंड प्रति एकड़ थी। यदि आप सन् १९४९-५० की प्रति एकड़ औसत उपज का सन् १९१४-१५ से लेकर १९१८-१९ तक के समय की प्रति एकड़ औसत उपज के साथ तुलना करें तो ४२ प्रतिशत की कमी मालूम पड़ेगी। तो ४० वर्ष से भी कम समय में भूमि की उपज लगभग आधी रह गई है। सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है कृषि व्यवस्था में आप तब तक कोई परि-वर्तन नहीं कर सकते जब तक कि जनता को यह विश्वास न हो जाय कि वह सब मिल कर काम कर रहे हैं तथा यह कि हमारा देश हर चीज़ में आत्म निर्भर हो सकता है। इस समय तो हम पूर्ण रूप से उन चीज़ों पर निर्भर हैं जो हमें अमरीका से मिलेंगी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि जब बाहर वालों को यह पता चलेगा कि हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें बाहर से और अधिक सहायता मिलेगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि हम विदेशी सहायता पर ही निर्भर हैं। तीस वर्ष तक हम अमरीका से लिये गये १९ करोड़ डालर के ऋण से दबे रहेंगे तथा इस ऋण भार को और बढ़ाते ही जाएंगे।

संयुक्त राज्य की कांग्रेस द्वारा पारित "परस्पर सुरक्षा अधिनियम" में पिछड़े हुए देशों के लिये सहायता की व्यवस्था है। इस सहायता के दिये जाने का उद्देश्य बिल्कुल साफ़ है। पत्र **अमेरिकन रिपोर्टर** ने इस सहायता की चर्चा करते हुए लिखा था कि इसका अभिप्राय कम विकसित देशों को सामरिक महत्व के

सामान के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता देना है। ३ अक्तूबर को श्री ट्रूमैन ने कहा था कि कांग्रैस से इस अधिनियम को पारित करने के लिये कहने का अभिप्राय संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति को बढ़ावा देना तथा सुरक्षा को बनाये रखना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम यदि इसी प्रकार अमरीका से बंधे रहे तो नतीजा क्या होने वाला है ?

राष्ट्रीय योजना समिति ने, जो सन् १९३८ में बनाई गई थी और जिसके सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह वायदा किया था कि वह लोगों के रहन-सहन का स्तर उस समय के स्तर से तीन गुना अच्छा बना देगी। सन १९४७ में नियुक्त की गई परामर्शदात्री समिति ने भी उत्पादन में कुछ वृद्धि करने तथा कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की थी। परन्तु वह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और न ही वह पंचवर्षीय योजना के पूरे होने पर पूरा होगा। इस स्थिति का कारण यही है कि हम साम्राज्यवादी देशों से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। यहां हमारे विषय में यह कहा जाता है कि हम कोमिनफार्म की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम पर बड़े बड़े लांछन लगाये जाते हैं। बिहार के माननीय सदस्य ने तेलंगाना के लोगों पर यह आरोप लगाया कि उनका मध्य यूरोप के किसी स्थान से वायरलैस सम्पर्क है। ऐसे सभी आरोपों के बावजूद भी मैं यह कहूंगा कि साम्यवाद की विजय ही विजय हुई है; आज साम्यवादी संसार के देशों को उनके स्वतंत्रता संघर्ष में मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। यही कारण है कि आयव्ययक पर वाद विवाद होने के समय मैं साम्यवादी दल की ओर से यह कहूंगा कि हमें ऐसा आयव्ययक तैयार करना चाहिये जो विश्व में शान्ति स्थापित करने में सहायक हो सके। हमारी सरकार को चाहिये कि वह संसार के समस्त देशों को दिल्ली आने का निमंत्रण दे ताकि सब मिलकर एक शांति संधिपत्र पर हस्ताक्षर करें और इस प्रकार हम, युद्ध की धमकियों से छुटकारा पा कर, शान्ति के साथ अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य में लग सकें। यदि हम इस बात में सफल नहीं होते तो खाद्य की समस्या भी नहीं सुलझ सकती है। फिर, यदि खाद्य समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा तो हमारे लोग शक्तिहीन हो जायेंगे। और ऐसे लोगों की सहायता से आप उस परम लक्ष्य की भी प्राप्ति करने में सफल नहीं हो सकेंगे जिसके लिये अनेकों व्यक्तियों ने अपने प्राण न्यौछावर किये हैं और जिसके लिये लोग आज भी अपनी जाने देने को तैयार हैं।

**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर दक्षिण): मैं प्रस्तुत आयव्ययक का स्वागत करती हूं; यह आयव्ययक बहुत विचार करने के बाद बनाया गया है। कुछ लोगों ने आयव्ययक की आलोचना करते हुए यह कहा है कि इससे जनसाधारण को कोई राहत नहीं मिली है। बड़े बड़े कर ज्यों के त्यों कायम रखे गये हैं और खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता बंद कर दी गई है : परन्तु उन्होंने इस का उत्तर देते हुए यह विश्वास दिलाया है कि यह सब जनता की भलाई के लिये ही किया गया है। एक ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा यह आश्वासन दे दिये जाने के बाद हमें यह विश्वास हो जाना चाहिये कि देश की भलाई ही की जायेगी। २०० वर्ष गुलाम रहने के बाद हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ऐसी दशा में स्थिति में सुधार करने में कुछ समय अवश्य लगेगा। आखिर, हथेली पर सरसों नहीं जम सकती। हमें तो अपनी सरकार को इस बात का श्रेय देना चाहिये कि उसने देश में बंगाल के सन

[श्रीमती सुषमा सेन]

१९४३ के दुर्भिक्ष जैसी कोई दुखद घटना नहीं होने दी है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने में सफल नहीं रही है।

विदेशों से अनाज मंगा कर सस्ते दामों पर बेचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के कम किये जाने की कटु आलोचना की गई है। परन्तु, बाद में इसका परिणाम अच्छा ही होने वाला है। मेरे ख्याल से तो सरकार ने यह पग उठाकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया है। बाहर से अनाज मंगाने पर देश की बहुत हानी होती है। खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता पर प्रति वर्ष ९० करोड रुपये व्यय किये जा रहे हैं। इस प्रकार जो धन राशि बचाई जायेगी वह देश में विकास कार्यों पर खर्च की जायेगी। सरकार ने रक्षा के बाद बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं को ही सर्वोच्च स्थान दिया है इन प्रयोजनाओं के सफलीभूत होने तक जनता को राहत देने के अन्य साधन ढूंढे जायें एक सुझाव यह है कि देश को कतिपय खाद्य क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाये तथा एक एक कमी वाले क्षेत्र को एक एक अतिरेक वाले क्षेत्र के साथ मिला दिया जाये तथा उन के बीच अनाज के आने जाने पर से रोक हटा ली जावे। इससे कुछ राहत अवश्य मिलेगी।

मेरा एक सुझाव यह है कि हम बाहर से अनाज मंगाने पर इतना रूपया व्यय न करके अपने सहकारी फार्मों 'तथा अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं' पर अधिक व्यय करें। इससे हम अपने देश में ही काफी अनाज पैदा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि खाद्य वितरण का कार्य स्त्रियों के हाथ में अधिक हो तो भी में समझती हूं कि स्थिति में सुधार होने की अधिक संभावना है।

स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी उपायों तथा कार्यवाहियों के विषय में मुझे यह कहना है कि हमें प्रशिक्षित नर्सों, दाइयों तथा जच्चा खानों आदि की बहुत आवश्यकता है। जहां तक स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न है, बिहर बहुत पिछड़ा हुआ है। अतः स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं रक्षा के बारें में एक दो शब्द कहूंगी। यह कहा जाता है कि अब तो हम स्वाधीन हैं और हमारी सब देशों से मित्रता है, फिर रक्षा पर इतना धन क्यों व्यय किया जाये। परन्तु मेरा कहना यह है कि जब तक हम पराधीन थे तब तक तो ब्रिटेन हमारा बचाव करता था लेकिन अब तो अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी है। अतः हमारी सेना सुसज्जित होनी चाहिय और इस व्यय में कोई कांट छांट नहीं की जानी चाहिये।

**पंडित एस० सी० मिश्र** (मुंगेर उत्तर पूर्व): मैं सदन में एक प्रवृति बढ़ती हुई देख रहा हूं और वह यह है कि साम्यवादियों को बुरा भला कहा जाता है और उन पर तरह तरह के आरोप लगाये जाते हैं। हम भी साम्यवादियों के उतने ही विरुद्ध हैं जितने कि सदन में और व्यक्ति, लेकिन साम्यवाद को भारत में प्रवेश न करने देने का तरीका वह नहीं है जो हमारी सरकार अपना रही है। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय तो यह है कि साम्यवाद जिस प्रकार के आथिक ढांचे की मांग करता है वह मान लिया जाये। दूसरों को दबाने का

तरीका हर जगह असफल रहा है और यहां भी सफल नहीं रहेगा। लोगों का कहना है कि विरोधी दल के सदस्यों ने इतनी रायें दी हैं कि आदमी चकरा जाता है। मैं पूछता हूं कि सरकार तो एक ऐसी बात तक मानने को भी तैयार नहीं है जिस पर विरोधी पक्षों के सब सदस्य एकमत हैं। जब तक आप विरोधी पक्षों की मांग को इस प्रकार ठुकराते रहेंगे तब तक जनता का कल्याण नहीं होगा।

मैं देखता हूं कि प्रस्तुत आयव्ययक की भांति भांति से प्रसंशा की गई है। किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ। परन्तु मुझे तो यह लगता है कि आयव्ययक के पीछे यह उद्देश्य छिपा है कि जनता तथा उस के प्रतिनिधियों से बहुत से तथ्य छिपाये जा सकें। वित्त मंत्री ने उसका सार दिया है। यदि आप उस सार को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस मे कुछ तो छोटी छोटी राशियां दे दी गई हैं और कुछ बहुत बड़ी राशियां भी नहीं दी गई हैं। उदाहरण के लिए, सिंचाई व्यय की १८ लाख रुपये की राशि तो दे दी गई है, किन्तु देशी राज्यों के पूर्व शासकों की निजी थैलियों के रूप में दी जाने वाली कोई साढ़े चार करोड़ रुपये की राशि का नाम तक नहीं है। तो इस प्रकार का सार देने का क्या अर्थ है ?

मैं आयव्ययक बनाने वालों से यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को ब्रिटिश सरकार से क्या परिसम्पत् मिली थी। वित्त मंत्री ने उस के बारे में कोई संकेत नहीं किया है और न ही यह बतलाया कि हमारे पौंड पावने में अब क्या बचा है।

देश में अनेकों धांधलियां हुई हैं- -मिलो (लाल जवार) की भी एक धांधली है। चारों तरफ 'मिलो' ही की आवाज है। यह एक ऐसा खाद्य है जो मनुष्यों के खाने लायक नहीं है। बिहार में क्या हुआ ? प्रत्येक क्रेता को इस 'मिलो' को खरीदने को विवश किया गया। उन से कहा गया "यदि आप एक सेर गेंहू लेना चाहते हैं, तो आप को उस के साथ दो सेर 'मिलो' अवश्य खरीदना होगा।" 'मिलो' पर इतना रुपया नष्ट हुआ है ; उसे तो कोई राज्य नहीं लेना चाहता। यह तो उन पर जबरदस्ती थोपा गया है।

मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि प्रस्तुत आयव्ययक का अभिप्राय लोगों को भ्रम में डालना है। उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उन से कुछ भी समझ में नहीं आता है। यदि आप आयव्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस में जो संख्यायें दी हुई हैं वे आयव्ययक में दी गई संख्याओं से भिन्न हैं। आप मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि यह आयव्ययक बहुत लापरवाही से बनाया गया है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यदि सरकार देश का शासन लोकतंत्रात्मक ढंग से चलाना चाहती है तो उसे कम से कम उन बातों को तो मान ही लेना चाहिये जिन के सम्बन्ध में विरोधी पक्षों की राय एक है। वैसे यह आपकी मर्जी है कि आप उन को बुरा भला कहें या उन के साथ कोई भी व्यवहार करें।

**११ म० पू०**

**श्री नन्द लाल शर्मा** (सीकर): नमोऽस्तु-रामाय च लक्ष्मणाय। देव्यौ च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॥

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यहां कुछ लोग अवश्य इस धर्म के तत्व पर हसेंगे। आप के सिंहासन पर धर्म

[श्री नन्द लाल शर्मा]

चक्र प्रवर्तन की प्रतिज्ञा है और मेरा विश्वास है कि आप इस को केवल अशोक के काल तक ही सीमित नहीं रखेंगे परन्तु अशोक से पूर्व भी जो धर्म चक्र भारतवर्ष में प्रवर्तित था आप के सिंहासन में उस धर्म को स्थापन्न करने की भी विधि है। मुझे खेद है कि धर्म के नाम से माननीय सदस्यों को इतना कष्ट होता है। यह तो भारत की संसद् है और इसे तो धर्म की प्रतिमूर्ति होना चाहिये।

आज हम वित्त मंत्री के दिये गये बजट के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये खड़े हुए हैं। मुझे यह देख कर बड़ा कष्ट हो रहा है, इस बात का मुझे बड़ा खेद है, और सुनने वालों को भी सम्भवतः खेद होगा, जिन माननीय बन्धुओं को मुझ से ज़रा भी मत भेद हो वह मुझे क्षमा करेंगे, कि सिवा गाली गलोच के कहीं भी बीमारी की चिकित्सा का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। उधर से रूस को गाली दी जाती है अथवा रूस के पीछे चलने वालों के सम्बन्ध में कहा जाता है, इधर से इंगलेंड और अमरीका को गालियां दी जाती हैं। वह अमरीका और इंगलेंड को सर्वथा आदर्श मान रहे हैं और यह रूस को आदर्श मान रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि दुःखी भारतीय कहां जाय। उस दिन कुमारी मस्करीन हमारे सामने एक पुड़िया में चावल लाई थीं। मेरे भी मन में आया कि मैं भी एक दुःखी भारतीय को अपनी जेब में डाल कर ले आता लेकन दुःख है कि उस को छुपा कर रख नहीं सकता था, न वह अधिक समय तक मेरे थैले में रह सकता था और यहां गवर्नमेंट के लोग उस को घुसने भी न देते।

**पंडित ए० आर० शास्त्री** (ज़िला आजमगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): आप स्वयं भी तो दुःखी हैं।

**श्री नन्द लाल शर्मा:** मैं अवश्य दुःखी हूं। मेरे कहने का केवल यही तात्पर्य है कि बजट के बारे में यह कहना कि यह तो बिल्कुल ख़राब है, सर्वथा अनुपयुक्त है, इत्यादि, इत्यादि कोई कठिन बात नहीं है। पुराने समय में एक कुशल चित्रकार ने एक बहुत बढ़िया चित्र बनाकर बाज़ार में ला दिया और कहा कि इस में जो भी दोष निकाल सकता है वह निकाले। हज़ारों लाखों ने उस में दोष दिखा दिये। किंतु दूसरे दिन जब यह कहा गया कि जो भी इन दोषों को ठीक कर सकता हो वह इन को ठीक कर दे तो कोई नहीं कर सका। तो ठीक करना बड़ा कठिन है। जब तक रोग का ठीक निदान न हो तब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा। मुझे एक ही भय है और वह यह है कि हमारे बजट बनाने वालों में और चाहे जितने गुण हों धर्म की भावना उन में से माइनस (ऋण) है धर्म से मेरा मतलब केवल मेरा ही धर्म नहीं है। मेरा धर्म से मतलब इस से है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो जो भी ईश्वर से डरता है और जो भी मरने के बाद से डरता है वह धर्म को मानता है।

न साम्परायः प्रतिभाति बालं, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म्। अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे।

मूर्ख पुरुष को परलोक नहीं दीखता है, मूर्ख पुरुष को मौत नहीं दीखती है और मौत न दीखने से जो भी कार्य वह करता है वह उस का कार्य नष्ट हो जाता है, कभी सफल नहीं होता है। हमारे सफल न होन का यही कारण है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब चाहे जितनी बुद्धिमानी से बजट बना कर हमारे सामने रखें परन्तु उस के चलाने वालों में यदि धर्म की भावना न होगी तो वह सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार में, घूसखोरी में उस धन को लगा देंगे और

उस को अपनी ही जेब में रख लेंगे और जनता तक पहुंचते पहुंचते वह बहुत कम रह जायगा। और जनता वैसी की वैसी ही रह जायगी।

हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सिक्यूलर (धर्म-निरपेक्ष) है। उस को धर्म के नाम से भी चिढ़ लगती है और धर्म के सम्बन्ध में कुछ कहने से भी चिढ़ लगती है। परन्तु मैं सिक्यूलरिज्म (धर्म निरपेक्षता) का अर्थ यही लगाता हू कि मेरे धर्म का पक्षपात कर के उस के द्वारा सरकार न चलाई जाय, या इस्लाम के धर्म का पक्षपात कर के उस के नियमों के अनुसार सरकार न चलाई जाय, ईसाई मत का पक्षपात कर के ईसाइयों के नियमों से सरकार चला कर दूसरे मत वालों को काट न दिया जाय, यह तो हमारी समझ में आ सकता है, किंतु यह कहना कि धर्म के सम्बन्ध में कोई बात ही न कही जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। यह कहना कि धार्मिक शिक्षा ही न दी जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय पर मैं पीछे आऊंगा। इस का फल यह होता है कि "न स सिद्धिम-वाप्नोति न सुखं न परांगतिम."— (गीता)। ऐसे व्यक्ति को न कार्य में सफलता मिलती है, न सुख और न परम कल्याण ही। अगर लीडर आफ़ दी हाऊस (सदन-नेता) या कोई दूसरा व्यक्ति एक बार यह कह देता कि स्कूलों और कालिजों में धर्म की शिक्षा न दी जाय तो हम गवर्नमेंट के कर्मचारियों को न कभी ईश्वर का डर दिखा सकते हैं और न मरने का डर दिखा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप करप्शन (भ्रष्टाचार) को कभी रूट आउट (उन्मूलन) नहीं कर सकते, तीन काल में भी नहीं दूर कर सकते, चाहे जितनी ऐनफोर्समेंट पुलिस है उस से हज़ार गुनी बढ़ा दें। वह पुलिस कर्मचारी भी तो मनुष्य हैं और उनकी जेब में भी पैसा वैसा ही जाता है। जब तक मनुष्य के अन्दर धर्म की भावना नहीं आयेगी तब तक वह ऐसा करने से नहीं रुक सकता और यह शिक्षा संस्थाओं के द्वारा ही हो सकता है। किंतु इस समय मुझे शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में नहीं कहना है।

कहा जाता है कि लगभग तीन करोड़ का सरप्लस (अतरेक) बजट है। पर मुझे तो यह सरप्लस नहीं दिखाई देता क्योंकि इस में कितना तो हमारे सिर पर विदेशी ऋण पड़ा है। जब हम निरन्तर विदेशों से कर्ज़ा ले रहे हैं जिस को कि हम बीस, पच्चीस या तीस वर्ष में भी नहीं चुका सकेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा बजट सरप्लस (अतिरेक) है। माननीय फाइनेंन्स मिनिस्टर साहब मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं उन से कहूं कि चाहे वह तीन करोड़ सरप्लस के बदले तीन करोड़ का दिवाल भले ही दिखा देते परन्तु प्रजा को कुछ सुख और शान्ति मिलती तो हम को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। प्रजा का सुख ही मुख्य ध्येय होना चाहिये। इसीलिये मैं राम राज्य के सम्बन्ध में कहता हूं। यद्यपि मेरे कम्युनिस्ट बन्धुओं को यह पसन्द नहीं है बिरोधी दल में उनकी संख्या अधिक है। आते तो वह भारत के केवल एक ही कोने से हैं। मेरे कम्युनिस्ट भाई केवल मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन और हैदराबाद से आते हैं और यद्यपि उन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी उन्हीं की आवाज़ सुनने में आती है। पर वह भी प्रजा के सुख को ही आधार मानते हैं। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस बैंचों पर जो मैजोरिटी में हैं वह भी भारत में राम राज्य की स्थापना चाहते हैं। इधर कम्युनिस्ट बन्धुओं से मेरा यह निवेदन है कि साम्यवाद द्वारा आप किस को समता दिलाते हैं? क्योंकि यहां किसी का शरीर बराबर नहीं है, न बुद्धि ही बराबर है, न रंग ही बराबर है। कौन सी चीज़ बराबर है?

[श्री नन्दलाल शर्मा]

अगर आप एक ईश्वर को बीच में से निकाल देते हैं, जिसकी सारे, प्राणीमात्र संतान हैं जिसे शास्त्रों ने "अमृतस्य पुत्रा" कह कर पुकारा है, तो फिर कहां पर समानता रह जाती है? यदि आप इस चीज़ को हटा दें तो फिर सर्वत्र मनुष्य में बुद्धि भेद से योग्यता का भेद होता है और योग्यता भेद होने से समता नहीं रहेगी। अगर आप सब को बिल्कुल समान करने की चेष्टा करेंगे तो सारा काम चौपट हो जायगा। किसी का सर काटना पड़ेगा, किसी के पैर काट कर मैफिस्यफिलीज़ के बिस्तर के बराबर करना होगा। ऐसी समानता तो मृत्यु और विनाश की समानता है, जीवन में ऐसी समानता कभी नहीं हो सकती।

मैं साम्यवाद का खंडन करता हूं ऐसा भी नहीं समझा जाना चाहिये। मैं साम्यवाद का खंडन इसलिये नहीं करता क्योंकि शास्त्र हमारे इस तत्व को मानता है। उस मे लिखा है:

यावद्भ्रियेत उदरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्।
अधिकं योभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥

श्रीमद्भागवत् बतलाती है कि जितने के अन्दर मनुष्य का पेट भरता है उसके ऊपर मनुष्य का नैचुरल राइट (प्राकृतिक अधिकार) है, स्वाभाविक अधिकार है। उस से ज्यादा के ऊपर जो अपना अधिकार जमाना चाहता है वह चोर है और राज्य के द्वारा दंड का भागी बनता है। इसलिये मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हम इस साम्यवाद को स्वीकार करते हैं, समता को स्वीकार करते हैं, परन्तु हम रूस की समता को नहीं स्वीकार करते। मैं ज़रा उस बजट के सम्बन्ध में आ जाता हूं। आप ज़रा एग्रीकल्चर बजट की तरफ़ देखें। एग्रीकल्चर बजट के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि टैक्टरों की मात्रा हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। फर्टिलाइज़र्स (कृषिसार) बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम गोबर का नाम तो लिया और यह कहा कि उस की खाद भी ज़रूरी है। मैं कहता हूं कि आप के घर के अन्दर जो फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है उस का आप प्रयोग नहीं करते। आप के घरों में, एक एक गरीब आदमी के घर में टैक्टर पैदा हो सकता है। यह पुअर मैन्स ट्रैक्टर "बैल" है। उस की रक्षा न कर के हम अरबों और खरबों रुपये विदेशों को देते हैं और अन्त में हम कहते हैं कि हम गरीब हैं और दूसरों के ऋणी हैं। कारण यह है कि हमारी दृष्टि भारत के अन्दर नहीं है, किसी की दृष्टि रूस में है, किसी की दृष्टि अमेरिका में है, किसी की दृष्टि इंगलेंड में है। मैं केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन चाहता हूं। यदि हम आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के राम राज्य में विश्वास करने वाले हैं, वा उस से पूर्व महर्षि बाल्मीकी के राम राज्य में विश्वास करने वाले हैं तो हम को थामस होब्स, अरिस्टोटिल और प्लैटो को छोड़ना होगा। जिस को प्लैटो स्वप्निल जगत समझता है प्लैटो कहता था "वही आदर्श राज्य होगा जहां के शासक दार्शनिक होंगे।" हम उस को भारत में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। यहां तो महाभारत के युद्ध में खड़े हो कर भी अर्जुन गीता का उपदेश सुनते हैं, जिसके मुकाबिले में आज कोई फिलासिफी और तत्व नहीं है। मैं इसलिये कहता हूं कि इस तत्व को हमें समझ लेना चाहिये यहां हाउस में बैठे हुए, संसद् में कितने व्यक्ति हैं जिनके अन्दर त्याग की भावना है। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी

ने भी उस दिन कहा था कि दस दस रुपये का एलाउन्स (भत्ता) हम त्यागने को तैयार है, हमारे कम्युनिस्ट बेंचों से भी यही आवाज़ आई थी कि हम लोग भी त्यागने को तैयार हैं। मैं कहता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं कभी पार्टीज में नहीं जाता। इस लिये कि हम जानते हैं कि एक एक हज़ार मनुष्यों की पार्टी जो संसद् के मिनिस्टरों द्वारा अथवा प्रेसीडेंट के द्वारा अथवा किसी के द्वारा दी जाती है उस के अन्दर कितने गरीब आदमियों की रोटी चल सकती है। सरकारी फैन्कशन (समारोह) आप भले ही करें परन्तु परसों ही अभी प्रेसीडेंट को स्वागत देने में, हमारे राष्ट्रपति का स्वागत करने में २० हज़ार से ऊरर खर्च किया गया। अगर उस के बदले दस हज़ार गरीब आदमियों के लिये यहां रोटी का प्रबन्ध कर दिया जाता, एक वक्त का भी, तो मैं समझता हूं कि संसार आप का गुण गाता, अमेरिका और इंगलैंड भी आप का गुण गाता परन्तु आप लोगों की उस तरफ़ दृष्टि ही नहीं जाती।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप के १५ मिनट खत्म हो गये।

**श्री नन्द लाल शर्मा** : इसलिये मैं केवल इतने शब्द कह देना चाहता हू। मुझे को बजट के लिये कुछ शब्द कहने थे। शिक्षा, रक्षा आदि विषयों म फिर प्रयत्न करूंगा, कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) के द्वारा, और अवसर मिलने पर बजट के सम्बन्ध में कहूंगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के सज्जन और सरकारी दल के सज्जन दोनों अपने दृष्टिकोण को बदल दें अगर यही दृष्टिकोण रहा तो जो 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' का वाक्य आप के शीर्षक के रूप में ऊपर है वह किस जगह काम आयेगा। नहीं तो जैसे वह 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' मूक पड़ा हुआ है वैसे आप भी मूक रह जायेंगे और हम लोग चिल्लाते चिल्लाते भी बीमार की कुछ सेवा न कर सकेंगे। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जैसे जैसे हम डाक्टर बन कर बीमार को ढूंढेंगे, बीमार मरता चला जायगा और किसी का भला नहीं होगा। इसलिये मेरा विश्वास है कि सारा का सारा हाउस मेरी इस बात का ध्यान रखेगा और दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न करेगा।

**रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी)** : रक्षा आव्ययक की आलोचना का उत्तर देने में मैं सदन का बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। हां कुछ मोटी मोटी बातों का मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक चीज जिस पर सदन के माननीय सदस्यों का बहुत अधिक ध्यान गया है यह है कि रक्षा पर व्यय केन्द्रीय आय का लगभग ५० प्रतिशत है। देखने में यह अधिक तो अवश्य लगता है, परन्तु इसके साथ साथ हमें एक और बात पर भी ध्यान देना है। हमारा राज्य एक संघात्मक राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। संघात्मक राज्य में रक्षा का लगभग सम्पूर्ण भार केन्द्र पर पड़ता है और दूसरे जनकल्याण कार्यों का बोझ उसके संघटक एककों पर पड़ता है। यदि हम उस व्यय को ध्यान में रखें जो राज्य जनकल्याण कार्यों पर करते हैं तथा उसकी तुलना केन्द्र द्वारा रक्षा पर किये जाने वाले व्यय से करें तथा इन दोनों प्रकार के व्ययों को देश की कुल आय के मुकाबले देखें तो हमें ज्ञात होगा कि रक्षा पर व्यय केन्द्र तथा राज्यों की कुल आय का मुश्किल से २० प्रतिशत होता है जब कि जनकल्याण कार्यों पर व्यय ३० प्रतिशत होता है। तो माननीय सदस्य इस बात को समझें। एक बात और है। सन् १९४७ से हमारा देश स्वतन्त्र है। अतः अब अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी है; उसका पूर्ण उत्तरदायित्व हम पर ही है। मैं चाहता हूं कि रक्षा व्यय

[श्री गोपालस्वामी]

में अधिक से अधिक मितव्ययता की जाये; परन्तु इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी ख्याल है कि खर्चे में कोई ऐसी कमी न की जाय जिसके कारण देश की सुरक्षा के भंग होने का भय हो। रक्षा व्यय पर विचार करते हुए इन दो सिद्धान्तों को जरुर ध्यान में रखना चाहिये।

हम ने हाल ही में एक समिति बनाई थी जिसे इस बात का पता लगाने का काम सौंपा गया था कि रक्षा व्यय में कहां तक कमी की जा सकती है। समिति की पहली रिपोर्ट मुझे मिल गई है तथा मैं सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ मिल कर इस बात पर विचार कर रहा हूं कि समिति की कौन कौन सी सिफारिशें मानी जा सकती हैं।

एक सुझाव यह दिया गया है कि सेना से देश में उत्पादन का कार्य करवाया जाय। विचार तो यह बहुत अच्छा है, परन्तु इस समय यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। संकट काल में या आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र सेनाओं का उपयोग उत्पादन प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है, परन्तु यह कहना इस समय आसान नहीं है कि हम देश की सशस्त्र सेना में इस प्रकार का परिवर्तन कर देंगे कि उससे नियमित रूप से उत्पादन कार्य भी करवाया जा सके। यह तो एक जबरदस्त क्रांति होगी और ऐसा करने से पूर्व हमें मामले की पूर्ण रूप से छानबीन करनी होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री शिवाराव ने रक्षा व्यय के लिए किये गये उपबंधो का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया था कि सशस्त्र सेना की तीन भिन्न भिन्न शाखाओं में और अधिक सन्तुलन होना चाहिये। वैसे तो मैं उन से पूर्णतः सहमत हूं, परन्तु इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखी जानी चाहिये। इस समय नौसेना और वायुसेना काफ़ी नहीं हैं। वर्ष प्रति वर्ष उन में विकास हो रहा है। अतएव इन दोनों में इस समय तो मितव्ययता की कोई गुंजाइश नहीं है। हां, जब ये दोनों भी स्थल सेना के स्तर पर आ जायेंगी तो इन तीनों सेनाओं के बीच अधिक सन्तुलन हो जायेगा। उन्होंने देश भर में नौसेना सम्बन्धी प्रशिक्षण देने वाले स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया। कुछ स्कूल तो खुले हुए हैं ही और दूसरे स्कूल खोलने की हम कोशिश कर रहे हैं।

यह कहा गया था कि सशस्त्र सेनाओं पर होने वाले व्यय में बहुत फिजूलखर्ची होती है। श्री गोपालन ने इस सम्बन्ध में एक उदाहरण भी दिया था। उन्होंने कहा कि सैनिक इंजीनियरी सेवा में पदाधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। परन्तु मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में उन की जानकारी ग़लत है। गत वर्ष इस प्रश्न पर एक समिति बनाई गई थी जिसने संस्थापना की जांच-पड़ताल करके केवल ३४ पदाधिकारियों की कमी की थी जो उक्त सेवा में कुल पदाधिकारियों की संख्या का ७ प्रतिशत थी। और अधिक कमी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

नये संयुक्त विरोधी दल की प्रमुख श्रीमती सुचेता कृपलानी ने रक्षा व्यय की चर्चा करते हुए एक लेख समिति की रिपोर्ट की ओर निर्देश किया जिसमें कितनी ही अनियमिताओं का ज़िक्र किया गया है। इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि रिपोर्ट में कुल जितने रुपयों

की मदों पर आपत्ति की गई ह वे कुल व्यय का १ प्रतिशत भी नहीं है। इस पर भी मैं सदन को यह विश्वास दिलाने को तैयार हूं कि रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उस पर सरकार विचार कर रही है। दोषियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनीय कार्यवाही की जायेगी ताकि ऐसी ग़लतियां भविष्य में फिर न हों। इस सम्बन्ध में मैं यह बतला दूं कि गत दो वर्षों में दो मामलों के सम्बन्ध में बहुत आरोप लगाये गये हैं। एक का सम्बन्ध जीपों के क्रय से तथा दूसरे का टैंक विध्वंसक गोलों के क्रय से है। जीपों का मामला अधिक पुराना है। इस सम्बन्ध में दो क़रार किये गये। दूसरे क़रार द्वारा पहले क़रार के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा क़रार कुछ तो पूरा हो चुका ह और अभी रुका पड़ा है क्योंकि कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई है। सरकार इस विषय में विचार कर रही है तथा कोई अन्तिम निर्णय करने के पूर्व वित्त तथा वित्तीय प्राधिकारियों के साथ विचारविमर्श कर रही है। क़रार के बारे में लोगों को तरह तरह की ग़लतफहमियां और सन्देह हो जाते हैं। वे सरकार के पदाधिकारियों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, किसी प्रकार के सन्देह की आवश्यकता नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न मिल जाये तब तक उस के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होना चाहिये; क्योंकि यदि उनको सन्देह की दृष्टि से देखा जायेगा है तो वे उत्तरदायित्व का कोई भी कार्य संभालने को तैयार नहीं होंगे। अब टैंकबिध्वंसक गोलों के क्रय के सम्बन्ध में मैं अधिक तो बतलाना नहीं चाहता क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसका प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ता है, परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि यह सौदा कोई महंगा नहीं है। इस प्रकार की वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारित करना कोई आसान काम नहीं है। हमें तो ये वस्तुएं उन देशों में खरीदनी होती हैं जो इनको बनाते हैं और वे ही वास्तव में इसका मूल्य निर्धारित करते ह। फिर भी हम कह सकते हैं कि मूल्य इतना अधिक नहीं है कि कोई हम पर आरोप लगा सके।

मुझे और जो कुछ कहना होगा वह मैं मांगों पर चर्चा के समय कहने की कोशिश करूंगा।

**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** (बैल्लारी) : मैं माननीय वित्त मंत्री को एक इतना अच्छा आयव्ययक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यह आयव्ययक सच्चे अर्थ मे जनता की सेवा की भावना से प्रेरित हो कर तैयार किया गया है तथा यह देश की समृद्धि के लिए अभिप्रेत है। विकास योजनाओं के लिए आयव्ययक मे अच्छा प्रावधान किया गया है। परन्तु दूसरा ओर से इसकी कटु आलोचना की गई है। श्री गोपालन ने कहा कि देश में आर्थिक संकट विद्यमान है और प्रति दिन लोग भूख से मर रहे हैं। एक अन्य मित्र ने कहा कि देश मे राजनीतिक संकट है। हमारी आर्थिक कठिनाइयां तो पुराना ब्रिटिश सरकार की देन हैं। अब रहा खाद्य समस्या तो इस के लिए उत्तरदायी मुख्य मुख्य बातें ये ह : ब्रह्मा और पाकिस्तान का भारत से अलग होना तथा जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होना।

मेरा कहना यह है कि माननीय वित्त मंत्री ने इस समस्या को बड़ी योग्यता से सुलझाने का प्रयास किया

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम्]

है । मेरा दावा है कि सरकार ने किसी को भूखे नहीं मरने दिया है ।

जब मैंने यह देखा कि कुछ सदस्य नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को कम कर के दिखलाने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ । जब तक हम नदी घाटी परियोजनाओं को सफल नहीं बनायेंगे तब तक हम खाद्य समस्या का हल नहीं निकाल सकेंगे । इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है और बिजली की भी व्यवस्था होती है । अब सरकार की यह नीति है कि देहाती क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई जाये । इससे गांवों में जीवन अधिक सुखद हो जायेगा । गांवों में बिजली उपलब्ध होने से कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा । कुछ जिलों में नदियों के न होने के कारण नदी घाटी योजनाएं तो बन नहीं सकतीं ; वहां छोटी सिंचाई योजनाएं ही सफल होती हैं । परन्तु सामान्यतया हमारी खाद्य समस्याएं इन नदी घाटी योजनाओं से ही हल होंगी ।

हमारे औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और कृषि उत्पादन में भी । माननीय वित्त मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में बतलाया है कि जूट का उत्पादन बढ़ कर ४६·८ लाख गांठें हो गया है । इसी प्रकार उन्होंने बतलाया कि रुई का उत्पादन बढ़ कर ३३ लाख गांठें और चीनी का १३/१/२ लाख टन हो गया है । इस्पात का उत्पादन आंकड़ा गत वर्ष १० लाख तक पहुंच गया था । यह एक बहुत बड़ी बात है ।

दूसरी ओर के माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें सेना पर व्यय कम कर देना चाहिये । मेरा अपना ख्याल यह है कि यदि सरकार ऐसे किसी सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो यह इस महान देश के लिए घातक सिद्ध होगा । किसी ने यह कहा था कि सरकार जनता की इच्छाओं का दमन करने के लिए सेना रखे हुए है । जैसा कि सर्वविदित है, हमारा एक संविधान है ; दमन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है । किसी दल विशेष द्वारा शासन चलाया जाना जनता की इच्छा पर निर्भर है । जो कोई भी दल बहुमत प्राप्त कर लेता है, वह शासन की बागडोर संभालता है । हां, यदि कुछ व्यक्ति या दल संविधान का उल्लंघन करके देश में आतंक फैलाना चाहते हैं तो इस देश में निस्सन्देह सेना देश को उनके बचाने में सहायता देगी । हम यह नहीं चाहते कि कोई विदेशी अथवा देश के अन्दर की कोई शक्ति असंवैधानिक रूप से देश पर छा जाये । अतः सेना तो हमारी भलाई के लिए ही है । मेरा ख्याल है कि हमारी शक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है और हम अपने प्यारे देश की अमूल्य स्वतन्त्रता को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देंगे ।

**डा० एस० पी० मुखर्जी** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आयव्ययक तैयार करते हुए उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों का ख्याल रखना पड़ा है जिनका सम्बन्ध भारत से ही नहीं अपितु सारे संसार से है । हो सकता है कि मंत्री महोदय इस कारण संतुष्ट हो जायें परन्तु इससे करोड़ों व्यक्तियों की आकांक्षायें शान्त नहीं होंगी । वह तो अनुमान लगा रहे थे कि प्रथम निर्वाचित संसद् का प्रथम आयव्ययक वर्तमान कठिन समस्याओं का कोई न कोई सन्तोषजनक हल अवश्य निकालेगा । परन्तु वास्तव में हुआ इसके विपरीत है । लोगों की आकांक्षायें पूरी नहीं हुई हैं । जो बातें फरवरी में रखे गये आयव्ययक में थीं वही पुनः दुहरा दी गई हैं । हां इधर उधर थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है जो अनिवार्य था इस समय मैं मोटी २ बातों के बारे में कुछ कहे देता हूं शेष के विषय में बाद में कहूंगा । ऐसा मालूम होता है कि स्वतंत्रता के पांच वर्ष बीतने पर हमारी रोकड़ बाकी में कोई २०० करोड़ रुपये की कमी आ गई है और अब वह घट कर ४० करोड़ रुपये मात्र रह गई है । वित्त मंत्री ने कहा है कि यह जो व्यय हुआ है उसका अधिकांश भाग ऐसी मदों

पर हुआ है। जिन से भविष्य में हमें अत्यधिक लाभ होने की आषा है। परन्तु हमें ज्ञात है कि बहुत सी मदों पर धन नष्ट हुआ है। इसकें अलावा हमारा पौण्ड पावना घट कर ७०० करोड़ रुपय रह गया है। इसमें सन्देह नहीं कि वित्त मंत्री ने हमें यह बतलाया कि इस का अधिकांश भाग मशीनों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के आयात करने पर व्यय हुआ है परन्तु हमारे व्यापार सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण हमें जो फायदे थे वह सब समाप्त हो चुके हैं और अब हमें विषम स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, अब हम निर्यात करने की बजाय आयात करने लगे हैं वित्त मंत्री नें इस बात पर गर्व का प्रदशन किया है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया है - मैं यह मानता हूं। परन्तु क्या पूछ सकता हूं कि क्या हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेच सकते हैं! केवल इतना ही नहीं हम अपनी बहुत सी चीज़ों को देश के अन्दर बेचनें में भी सफल नहीं हो सकें हैं। वित्त मंत्री नें तो 'प्रतीक्षा' की नीति अपना ली है परन्तु इसी बीच लागों के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं।

जहां तक खाद्य का सम्बन्ध है, हम लगभग २५० या ३०० करोड़ रुपये का खाद्य प्रति वर्ष बाहर से मंगाने लग गये हैं। योजना आयोग ने कहा था कि हमें ३० लाख टन से अधिक खाद्यान्न का आयात नहीं करना पड़ेगा, परन्तु हम पिछले दो वर्षों से कोई ४०-५० लाख टन खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं। इसका मूल्य भी हम बहुत अधिक दे रहे हैं। खाद्य-साहायता के बन्द किये जानें से भी स्थिति बहुत गंम्भीर हो गई है। वित्त मंत्री नें कहा कि जीवन-निर्वाह देशनांक शनैः शनैः कम होता जा रहा है। परन्तु यदि वह आंकड़ों की तुलना करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि जीवन-निर्वाह देशनांक जिस दर से कम हो रहा है उससे अधिक दर से खाद्य का मूल्य बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व सरकार पर हैं। यदि सरकार यह कहती है कि खाद्य-साहाय्य बन्द कर दी जावे तो फिर उस के स्थान पर और क्या कार्यवाही की जायेगी जिससे कि स्थिति और अधिक न बिगड़े? हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा कोई न कोई एंसी कार्यवाही करनी ही होगी जिससे लोगों को यह विश्वास हो सके कि उन्हें खाद्यान्न उचित मूल्य पर मिल सकेंगे।

हमसे कहा जाता है कि देश में खाद्यान्नों का अभाव नहीं है। हमे विदेशों से खाद्यान्न मंगा रहे हैं। इस पर भी देश में खाद्यान्नों की कमी होने लगी है। लोगों को तो भोजन चाहिये। आंकड़ें मात्र प्रस्तुत करने से भूखों का पेट नहीं भरा जा सकता। आंकड़े तो जिस तरह चाहें दिए जा सकते हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन तो असफल सिद्ध हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि वित्त मंत्री इस बात को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब तक हम 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर ७० करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री आंकड़ों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-वाही करते समय हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी वास्तविक दशा को समझें। हमें यही पता नहीं होता कि हम कितना उत्पादन करते हैं या हमें कितने खाद्यान्न की जरूरत है। होता यह है कि कमी राशन की आवश्यकताओं के आधार पर फैला ली जाता है। किसी न किसी प्रकार राशन की व्यवस्था के अन्तर्गत हम केवल १२ करोड़ ६० लाख व्यक्तियों को खाद्यान्न दे रहे हैं।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

उनके लिए हमें ९० लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु हम ३० लाख टन खाद्यान्न का समाहार कर सकते हैं, अतः ६० लाख टन सारे देश की कमी रही। मैंने गत वर्ष सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि हम इस आधार पर चले तो भारत कभी भी आत्म-निर्भर नहीं हो सकेगा और हम किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकेंगे।

अब विकास योजनाओं को लीजिए इस समय जो विकास योजनायें हाथ में हैं उनमें से कुछ को मैं बहुत महत्व देता हूं। निस्सन्देह, हम इन योजनाओं से बड़ी बड़ी आशायें लगाए बैठे हैं। परन्तु इनके सम्बन्ध में हमें बहुत सावधान रहना है। देखना यह है कि क्या सरकार के पास इतना धन है कि वह इन योजनाओं को पूरा कर सके। हमें इन योजनाओं पर कोई ५००--६०० करोड़ रुपये खर्च करते हैं। परन्तु इन योजनाओं के लिए हमें अधिकाधिक विदेशी सहायता लेनी पड़ रही है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि विदेशी सहायता लेने से भारत अपने आपको बेच देगा। हम स्वतन्त्र हैं और बाहर से होने वाले किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। परन्तु हमें विदेशी सहायता की कोई न कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही होगी। इसके अलावा, आज हम अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए भी विदेशों पर निर्भर हैं। ऐसे देश की स्वतन्त्र विदेश नीति नहीं हो सकती। तो फिर इस सब का इलाज क्या है? सरकार की प्रस्थापना क्या है? सरकार ने कुछ करोड़ रुपये छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए तथा कुछ लाख रुपये छोटे उद्योगों के विकास के लिये रखे हैं। सरकार को चाहिए कि वह जनसाधारण को यह विश्वास दिला दे कि अब भी वह देश के गांवों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। नदी घाटी परियोजनायें देश के विभिन्न भागों में चालू की जायें---उनसे लाभ होगा। हमें तो इस बात पर विचार करना है कि विश्व अशान्ति के समय जब वह देश जो आज हमें सहायता दे रहे हैं हमें सहायता देना बन्द कर दें तब हम क्या करेंगे। रक्षा आयव्ययक को देखिये। रक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है और रक्षा मंत्री ने बतलाया है कि स्पष्टतया वह वृद्धि कायम रखी जायगी। मैं भी यही समझता हूं कि हमें खतरा मोल लेकर रक्षा व्यय में कमी नहीं करनी चाहिए। इतना होते हुए भी, मितव्ययता के कुछ न कुछ ढंग निकाले ही जा सकते हैं। इस बात की जांच की जानी चाहिये कि सेना से अन्य राष्ट्र-निर्माण कार्यों में, विशेष रूप से खाद्य उत्पादन में, सहायता ली जानी कहां तक संभव है।

**१२ मध्याह्न**

हम ने विदेशों से धन लिया है। मुझे खेद तो इस बात का है कि हमें जिस काम के लिए रुपया मिला है उस का सदैव उसी काम में उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, न्यूज़ीलैण्ड ने हमें कोई १,३६,००० रुपये चिकित्सकीय सहायता के रूप में दिये हैं। अब हो यह रहा है कि इस धन को---और धन के साथ साथ---दिल्ली में एक मैडिकल कालिज बनाने में खर्च किया जा रहा है। मैं मैडिकल कालिज के बनाये जाने के विरुद्ध नहीं हूं; परन्तु मेरा कहना केवल यह है कि इस धन का उपयोग देश में अस्पतालों की दशा सुधारने में किया जाता आज अस्पतालों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। यदि आप ३ करोड़ रुपये अस्पतालों

की उन्नति पर व्यय करते तो जनसाधारण को यह पता लगता कि उनके हित के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इन सब बातों से आप ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं जिस में लोग यह अनुभव नहीं करते कि आप जनता के कल्याण के लिए इतने आतुर है।

उस दिन प्रधान मंत्री ने कहा कि आज विदेशी लोग हमारी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि भारत ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। परन्तु हमें केवल विदेशियों द्वारा की गई सराहना पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि हमारी अपनी जनता हमारे बारे में क्या कुछ कह रही हैं। यदि आप जनता को उचित मूल्य पर खाद्य नहीं दे सकते, यदि आप देश से बीमारी और ग़रीबी दूर नहीं कर सकते तो आप की सरकार के अस्तित्व का आधार ही खत्म हो जाता है। जब तक जनता की ये समस्यायें हल नहीं होंगी तब तक वह आप की राष्ट्र-निर्माण योजनाओं में पर्याप्त सहयोग नहीं देगी। अतएव मैं कहता हूं कि प्रस्तुत आयव्यय सर्वथा अनुपयोगी है और उस से जन साधारण में आशा का संचार नहीं होता है।

**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं समझता हूं कि जैसा कि हमेशा होता है इस समय भी मुझ इतना समय नहीं मिलेगा कि मैं उन सब बातों का उत्तर दे सकूं जो गत चार दिनों में ही कहीं गई हैं; अतः मैं केवल अधिक महत्वपूर्ण बातों की ही चर्चा करूंगा। गत चार दिनों के वादविवाद में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहीं गई हैं और बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये गये हैं। अतएव मैं वाद विवाद के सामान्य रुख से सन्तुष्ट हूं मैं देखता हूं कि विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य अपने लिये तो यह चाहते हैं कि कोई उन के सद्भाव पर लांछन न लगाय, परन्तु वे दूसरों के सद्भाव पर सन्देह करने को सदैव तैयार रहते है। यदि बात ऐसी नहीं होती तो वह इस प्रकार न बोलते जिस प्रकार कि वह बोले हैं। यदि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बतलाया होता कि उनके अमुक आदर्श हैं और वह अमुक बात चाहते हैं तो उनके साथ बैठकर चर्चा करना कदाचित अधिक सरल होता। दूसरी कठिनाई आंकड़ों आदि के सम्बन्ध में है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य स्वयं तो जब चाहें आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, परन्तु जब कोई आंकड़े उन की बात का खंडन करने के लिए दूसरी ओर से प्रस्तुत किये जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह तो केवल 'आंकड़ों का हेर-फेर' मात्र है। परन्तु मैं समझता हूं कि साल भर की आय तथा व्यय का विवरण देने में आंकड़ों की सहायता लिये बिना काम नहीं चल सकता है।

कुछ लोग हम से रूस और चीन की ओर देखने के लिए कहते हैं। उन का कहना है कि रूस और चीन कितनी उन्नति कर रहे हैं। इस के उत्तर में मैं केवल यह कहूंगा कि उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, हो सकता है उन का खंडन करने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण हों और हमारे लिए उन्हें प्रकट करना सम्भव न हो। खैर, मैं इस प्रश्न पर अधिक तर्क नहीं करना चाहता। यदि आप अन्य देशों द्वारा किये गये आयोजनों का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि वहां भी कुछ वैसी ही असफलतायें हुई हैं जैसी कि हमारे देश में हुई बतलाई जाती हैं। अपनी आयोजन नीति के विषय में मुझे यही कहना है कि इस समय हम जो योजना तैयार कर रहे है वह तो एक प्रकार की प्रारम्भिक कार्यवाही है। इसके बारे में प्रायः यह शिकायत है कि इसकी प्रगति बहुत मन्द गति से हो रही है

[श्री सी० डी० देशमुख]

में इसे महसूस करता हूं और शायद सब से ज्यादा; परन्तु सारी कठिनाई यह है कि बिना रुपया लगाये कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकती और यदि हम मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति में विनियोजन करें तो उस के जो परिणाम होंगे उन के लिए हम उत्तरदायी होंगे।

डा० कृष्णस्वामी ने जो कुछ कहा मैं उसकी प्रशंसा करता हूं; परन्तु मैं समझता हूं कि उन्होंने वर्तमान स्थिति को ठीक तरह समझा नहीं है। मेरा यह ख्याल नहीं है कि देश में इस प्रकार की मूल्य-वृद्धि विद्यमान है जिसके कारण हमें बहुत सी प्रमुख योजनाओं को छोड़ देना चाहिये। हम चालू खर्च में से जो कुछ बचत करते हैं वही विनियोग व्यय का सार है। अतएव मैं डा० कृष्णस्वामी के इस तर्क को मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे अपनी आय में से विकास योजनाओं में रुपया लगाने के फलस्वरूप देश में कमी होती है। मैं तो यह समझता हूं कि यदि हम यह बचत नहीं करेंगे तो देश में कमी होगी क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ जायेंगी।

दूसरी बात डा० कृष्णस्वामी ने यह कही कि थोक मूल्यों के स्तर तथा निर्वाह-व्यय देशनांकों में कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि खुदरा मूल्य थोक मूल्य के अनुपात से ही नहीं बढ़ते घटते हैं तथापि मैं यह कहूंगा कि उन में इतना अन्तर नहीं होता है जितना कि बतलाया गया है। कुछ समय में खुदरा मूल्य भी थोक मूल्य के कम होने के फलस्वरूप कम होते ही है और इस प्रकार निर्वाह-व्यय देशनांक भी नीचे गिरते हैं। दालें, चीनी, चाय तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें गिरी हैं।

समय समय पर चीजों की कीमतों और निर्वाह-व्यय देशनाओं का निर्देश किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करके यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। मैं कलकत्ते के देशनांक लेता हूं। वहां जनवरी में देशनांक ३५७, फरवरी में ३४३, मार्च में ३४० तथा अप्रैल में ३३९ था। सन् १९५१ में सर्वोच्च देशनांक ३८७ था। मुझे तो इन आंकड़ों से तसल्ली होती है; मैं नहीं कह सकता कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होती है या नहीं। बम्बई में देशनांक इस प्रकार थे। जनवरी में ३१५, फरवरी में ३०९, मार्च में २९८ और अप्रैल में ३२९। निस्सन्देह अप्रैल के देशनांक को देख कर चिन्ता होती है। बम्बई में सन् १९५१ में सर्वोच्च देशनांक जून में था जो कि ३२१ तक पहुँच गया था। मैं समझता हूं कि बम्बई में मूल्य-वृद्धि कोई २½ प्रतिशत हुई है। अहमदाबाद में देशनांक जनवरी में ३३७, फरवरी में ३३० मार्च में ३१४ और अप्रैल में ३५९ था; जबकि सन् १९५१ के मई मास में देशनांक ३८१ यानि सबसे अधिक था। मद्रास में देशनांक जनवरी में ३४५, मार्च में ३४० तथा अप्रैल में ३३३ था। मद्रास में गत १५ मासों से कीमतें लगभग स्थिर सी रही हैं। कानपुर, जो कि एक और महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है, में भी कीमतें गिरी हैं। दिल्ली में भी मद्रास की तरह मूल्य स्थिर से रहे हैं। अतएव मेरा यह दावा अब भी ठीक है कि बम्बई और अहमदाबाद को छोड़ कर— जहां की परिस्थिति ही विशेष है—और जगह राशन में आने वाले खाद्यों के मूल्य में जो वृद्धि हुई है वह अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी होने से पूरी हो गई है। अब मैं डा० कृष्णस्वामी की इस बात पर आता हूं कि अब लागत में कमी आना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था

दुष्परिवर्तनशील है । यह तो एक ऐसी बात है जिसे अर्थशास्त्री ही समझते हैं। साधारण रूप से लागत में कमी लाना एक कठिन काम होता है, परन्तु कठिनाई इतनी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतलाई है। मुझे विश्वास है कि प्रबन्ध के आधुनिक तरीकों आदि से लागत में १०-१५ प्रतिशत कमी की जा सकती है । और हमें समझना भी यही चाहिये क्योंकि यदि हम यह मानें लेते हैं कि लागत में कमी नहीं हो सकती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सदैव के लिए अधिक मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं। अतएव मैं डा० कृष्णस्वामी तथा ऐसा समझने वाले अन्य आलोचकों से सहमत नहीं हूं तथा मैं आशा करता हूं कि मूल्यों का स्तर अवश्य ही नीचे गिरेगा।

इन में से कुछ विकास योजनाओं पर काम बन्द कर देनें के सुझाव के बारे में मुझे यह कहना है कि यह तो मौक़े पर जाकर ही देखा जा सकता है कि हमारा उन पर इतना रुपया खर्च करना सार्थक है या नहीं। यदि माननीय सदस्य इन में से कुछ को भी जाकर देखें तो उनको अपने प्रश्न का उत्तर आप ही आप मिल जायेगा। भकड़ा-नंगल योजना या दामोदर घाटी योजना को छोड़िये, दक्षिण में तुंगभद्रा या निचली भवानी योजनाओं को ही लीजिय आप को पता चल जायेगा कि हमारा उन पर इतना रुपया खर्च करना सार्थक है या नहीं।

जहां तक पूंजीवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, हमें हमारे तथा कुछ सदस्यों के बीच सहमति की कोई सूरत नज़र नहीं आती। परन्तु हम यह कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक दृष्टिकोण है। प्रस्तुत बेकारी के बारे में मुझे यह कहना है कि कुछ समय में हम बेकारी दूर कर सकेंगे । चाय उद्योग के बारे में पड़ताल करनें के लिए तो हम कुछ पदाधिकारी भेज भी चुके हैं । मैं समझता हूं कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा था कि एक पदाधिकारी नारियल जटा उद्योग का अध्ययन करने के लिये दक्षिण में भेजा गया है। मैं श्री मात्तन के रचनात्मक भाषण की सराहना करता हूं। उन्हों ने न केवल नारियल जटा उद्योग की बिगड़ी हुई दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, अपितु कुछ सुझाव भी दिये। उन्होंने दो सुझाव दिये। एक सुझाव यह था कि समस्या का स्थायी हल ढूंड निकालने के लिये यह आवश्यक है कि उस क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जाये। दूसरा सुझाव उन्होंने यह दिया कि एक नारियल जटा सम्बन्धी बोर्ड बनाया जाए, जिससे यह पता लग सके कि देश के बाहर या अन्दर नारियल की जटा की मंडियां कायम की जा सकती हैं या नहीं।

दूसरा प्रश्न करारोपण से सम्बन्ध रखता है। यह कहा गया है कि भारत में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में हमें दो बातें याद रखनी हैं। एक तो यह है कि हम शुद्ध आयकर में वह अंश सम्मिलित नहीं करते हैं जो प्रान्तों को दिया जाता है परन्तु होता वह भी कर ही है। यद्यपि इसका उपयोग राज्य करते हैं, परन्तु होता वह प्रत्यक्ष कर ही है। दूसरी बात यह है कि सीमा शुल्क के आंकड़ों में हमने निर्यात शुल्कों को भी शामिल कर लिया है । भारत में प्रत्यक्ष करों का अनुपात अप्रत्यक्ष करों के अनुपात से कम है और उसके कुछ कारण भी हैं। भारत में आयकरदाताओं की संख्या जनसंख्या का चौथाई भाग है, जब कि ब्रिटेन में यह ४० प्रतिशत तथा संयक्त राज्य अमरीका में ४५ प्रतिशत हैं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इसके अतिरिक्त कृषि आयकर—जितना कि वह राज्यों में लगाया जाता है—हमारे आंकड़ों में सम्मिलित नहीं होता है। तीसरे यह कि सभी भाग ख में के राज्यों में अभी आयकर की पूरी दरें लागू नहीं की गई हैं। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाये तो मैं समझता हूं कि हम किसी अन्य देश की तुलना में पीछे नहीं हैं।

प्रगामी करारोपण के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस भान्ति हैं: ५,००० रुपये की आय पर कर की दर है २.३ प्रतिशत। ३०,००० रुपये की आय पर कर की दर १८.७ प्रतिशत और तीन लाख पर ७०.८ प्रतिशत है। योजना प्रयोग की रिपोर्ट में एक स्पष्ट पैरा है जिसका सार यह है कि करों की यह दरें पूंजीपतियों के साथ कुछ पक्षपात करने की दृष्टि से नहीं निश्चित की गई हैं। मैं एक व्यवहारिक व्यक्ति हूं। मुझे तो केवल परिणाम में रुचि है तथा मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हम जिस नीति का अनुसरण कर रहे हैं वह देश की भलाई के लिये सर्वश्रेष्ठ है।

अनुमान और अनुमान लगाने के तरीकों के बारे में भी कुछ कड़े शब्द कहे गये थे। इस सम्बन्ध में मैं आवव्ययक के व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा अनुदानों की मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिला सकता हूं कि इन आंड़ों का कोई रहस्य नहीं है। आयव्ययक में आंकड़ों को छुपा कर कोई अपने आप को बचा नहीं सकता।

वेतनों में अधिक अन्तर आने के बारे में कुछ कहा गया था। स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में आंकड़े देते समय माननीय सदस्य ने अधीन कर्मचारी वर्ग को दिये जाने वाले महंगाई आदि भत्तों को भुला दिया था। ये भत्ते कर्मचारियों के वेतन के अन्तर्गत नहीं, बल्कि भत्तों आदि के शीर्ष के अधीन दिये जाते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ये सब वेतन श्रेणियां केन्द्रीय वेतन आयोग के परामर्श पर निश्चित की गई हैं। इस समय दोनों प्रकार के कर्मचारी मौजूद हैं। कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी सेवायें पुराने नियमों द्वारा संचालित होती हैं और उन्हें वे अधिकार प्राप्त हैं जिनका कि वे पहले उपभोग करते थे। लेकिन सदैव ऐसा नहीं रहेगा। नई वेतन श्रेणियां उन श्रेणियों से काफी कम हैं। जिनपर माननीय सदस्य को आपत्ति थी।

आय के अनुमान लगाने के बारे में एक बात डा० कृष्ण स्वामी द्वारा कही गई थी। उनका कहना था कि उनकी समझ में यह नहीं आता कि आयकर से आय कम किस प्रकार होगी। इसका उत्तर यह है कि आयकर तो इतना अधिक कम नहीं होगा, जितना यह कि हम इतना धन नहीं इकट्ठा कर सकेंगे जितना गत वर्ष हुआ था। गत वर्ष तो बकाया भी काफी वसूल की गई थी मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि मैं ने अनुमानों को यथा सम्भव ठीक ही लगाने का भरसक प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्य के ख्याल में अनुपूरक मांगें एक अनौपचारिक सी बात है। परन्तु सच यह है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वह सदन में नये आये हैं; यदि उन्होंने पिछले दो तीन वर्षों की अनुपूरक मांगों का अध्ययन किया होता तो उन्हें पता लगता कि उन में से बहुत सी मांगें खाद्य को सस्ते भावों पर बेचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के लिए थीं। इसके बाद उन

मांगों का नम्बर था जिनका सम्बन्ध पुनर्वास-कार्यों से था। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय रक्षा पर भी हुआ था। अतः यह वह बड़े बड़े आंकड़े हैं जो माननीय सदस्य ने रखे थे।

व्यय के बारे में मेरे सहयोगी बहुत कुछ कह चुके हैं; उन्होंने इस सम्बन्ध में रक्षा व्यय का भी उल्लेख किया था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस बारे में काफी भ्रांति फैली हुई प्रतीत होती है। मेरा अभिप्राय भारत द्वारा रक्षा पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिशतता से है। रक्षा पर कुल व्यय का लगभग २५ प्रतिशत खर्च होता है जो उचित रूप से कम है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बहुत कम है—क्योंकि ऐसे देश भी हैं जिनकी कोई सेना नहीं है—परन्तु उचित रूप से कम हैं।

अब मैं खाद्य को सस्ते भावों पर बेचने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में कुछ कहूंगा। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात को समझे कि वास्तविक कठिनाई अतिरिक्त धन प्राप्त करने में है। इस वर्ष और गत वर्ष की परिस्थितियों में बहुत अन्तर है : पहले मैं ने इस सम्बन्ध में २५ करोड़ रुपये रखे थे और फिर अपने पहले आयव्ययक भाषण में—अर्थात् फरवरी वाले में—मैं ने यह कहा कि यदि यह धनराशि छोटे निर्माण कार्यों पर खर्च की जाये तो अधिक अच्छा होगा। मैं ने २५ करोड़ में से १० करोड़ कम कर दिये और २५ करोड़ के स्थान पर १५ करोड़ कर दिये। बस, यही परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में न जाने क्या-क्या कहा गया है। जैसा कि डा० मुखर्जी ने कहा, वास्तविक समस्या नितान्त भिन्न है और वह है 'अधिक अन्न उपजाओ' की समस्या। अब भी मेरा कहना यह है कि समस्या सुलझाने में जितनी सहायता उत्पादन वृद्धि से होगी उतनी आर्थिक सहायता से नहीं। उस का यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी बात से फिर गया हूं। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में हम कोई न्यायोचित निर्णय कर सकेंगे। परन्तु मुख्य प्रश्न 'अधिक अन्न उपजाओ' का ही है।

अब मैं केवल एक बात की चर्चा और करूंगा और वह है अपनी योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था। हम इस प्रश्न पर बराबर विचार करते रहते हैं और बार-बार मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम अब भी अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकते हैं। रोकड़ बाकी का प्रश्न कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। सच तो यह है कि युद्ध से पहले अधिकांश देश रोकड़ बाकी में अधिक विश्वास नहीं रखते थे। आयव्ययक तो वर्ष प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं। होना यह चाहिए कि एक काम चलाऊ रोकड़ बाकी रखी जाये जो कि हमारे यहां ४०-५० करोड़ रुपये होनी चाहिए। इस से अधिक रोकड़ बाकी की आशा नहीं की जानी चाहिए। यह कहा गया है कि रोकड़ बाकी में से रुपया निकाल कर आप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हम ने इस प्रश्न पर विचार किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि हम रोकड़ बाकी में से भुगतान सन्तुलन के बराबर रुपये निकालते हैं तो उस में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार, यदि हमारा घाटा भुगतान सन्तुलन के घाटे के बराबर रहता है, तो उस से मुद्रास्फीति नहीं होती है। इन परिस्थितियों में यह ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।

हमें इस में कुछ सन्देह है कि बदली हुई परिस्थिति में राज्य अपनी आय को

[श्री सी० डी० देशमुख]

बढ़ा सकेंगे । यदि ऐसा है, तो फिर हमें कोई कड़ा निर्णय करना होगा और वह निर्णय यह है कि हम घाटे के आयव्ययक का सहारा लें । इस के अतिरिक्त कोई निर्णय करने से कठिनाई उत्पन्न हो जायगी ।

अन्त में मैं इतना कहूंगा कि जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, उत्पादन दर बहुत कम है । मैं सरदार लाल सिंह की इस बात से सहमत हूं कि यदि हम प्रयत्न करें तो पिछली विफलताओं के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं ।

**इस के पश्चात सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ५ जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।**